



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



राजभाषा
हीरक जयंती

विक्रण

तैंतालीसवां अंक
2024-25



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II,
महाराष्ट्र, नागपुर

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव ऊर्जावान ; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !

मुखपृष्ठ - महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर एवं लोककलाएँ -
पंढरपूर की वारी, लेझीम नृत्य, ढोल पथक, लावणी, कोली नृत्य

किरण परिवार

संरक्षक



सुश्री जया भगत
प्रधान महालेखाकार

परामर्श समिति



श्री अक्षय मोहन खंडारे
वरिष्ठ उप महालेखाकार



डॉ. भुषण बी. भिरुड
वरिष्ठ उप महालेखाकार



श्री जे. बी. गुप्ता
वरिष्ठ उप महालेखाकार

प्रधान संपादक



श्रीमती चंदना तायडे
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

संपादक



डॉ. नयना वि. पाटील
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक सहयोगी



श्री विष्णु उ. रामटेके
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक



कुमारी प्रियंका
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

चयन समिति



श्री चंद्रभान आर. हेडा
वरिष्ठ लेखा अधिकारी



श्री धनंजय पी. पळणीटकर
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

अनुक्रमिका

विधा	रचना का नाम	रचनाकार	पृष्ठ
1	संदेश		iii-vii
2.	प्रधान महालेखाकार महोदय का साक्षात्कार		1
3.	महिला सशक्तिकरण	श्रीमती पिहु भट्टार्चाजी	6
4.	इंद्रधनुष के रंग ...	श्री सलीम एम. शेख	8
5.	हमारे शिक्षक	श्रीमती निशी शर्मा	8
6.	सौर ऊर्जा	श्री महेश सुभाष ईशी	9
7.	मोक्षकाष्ठ-पर्यावरण पूरक दाह-संस्कार!!	श्री प्रशांत कपाले	11
8.	भारत के लोकप्रिय साहित्यकार	डॉ. नयना विलास पाटील	13
9.	लालच का फल	श्री यशवंत खापरे	18
10.	साधना - प्रयोजन और परिणाम	श्रीमती कविता चौरीया	19
11.	आधुनिक कुटुंब व्यवस्था की आचार संहिता	श्री वीरेन्द्र देवघरे	20
12.	“सफ़र- ए- गोवा और सुधा राणा”	श्री सलीम एम. शेख	22
13.	परिपक्वता	श्री अनिल वैष्णव	25
14.	समय	श्री सुरज सु. ठाकरे	27
15	बेटी	श्री सैय्यद इकबाल अली	27
16.	आधुनिकता की ओर कुटीर उद्योग	श्री विष्णु उ. रामटेके	28
17.	पेंशन अनुभाग में कार्य का संस्मरण	श्री संतोष कुमार	23
18.	मेरा गाँव	कुमारी प्रियंका	35
19.	गलियारे	श्री बाल बिहारी प्रजापति	35
20.	महाकुंभ 2025 का अमृत स्नान	श्रीमती तृप्ती प्रशांत देशपांडे	36
21.	नए वर्ष में एक नया संकल्प	कुमारी प्रियंका	37
22.	पिता का आशीर्वाद	श्री महेश सुभाष ईशी	40
23.	पेंशन समाचार		42
24.	कार्यालय समाचार		47
25.	राजभाषा समाचार		52

अस्वीकरण : “पत्रिका में व्यक्त विचार, रचनाकारों के निजी विचार हैं व प्रकाशित रचना में प्रस्तुत तथ्य, आँकड़े व व्याख्या की प्रामाणिकता के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं। प्रकाशित रचना से संपादक मंडल/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। इससे उत्पन्न किसी भी वाद-विवाद की जिम्मेदारी ‘किरण परिवार’ अस्वीकार करता है। - प्रधान संपादक एवं संपादक



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संदेश



यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को दिनांक 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किए जाने को इस वर्ष 75 साल पूरे हुए हैं। अतः राजभाषा हिंदी की “हीरक जयंती” के इस अवसर पर हमारे कार्यालय द्वारा कार्यालय की गृह पत्रिका “किरण” के दो अंकों का प्रकाशन और भी सुखद है।

हिंदी का विकास करके हम देश की एकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यालय की गृह पत्रिका “किरण” के 43 वें अंक में प्रकाशित सामग्री राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने और इसके व्यापक प्रयोग के संबंध में उपयोगी सिद्ध होगी।

इस पत्रिका द्वारा हमारा प्रयास रहता है कि कार्यालय के अधिक से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी कविताएं, लेख आदि लिखने के लिए प्रोत्साहित करें एवं सभी हिंदी प्रेमियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो। यह पत्रिका उस प्रोत्साहन और कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी भाषा में अभिरूची का प्रमाण है। वर्ष के दौरान कार्यालय में बहुत सी गतिविधियां होती हैं, इन सभी गतिविधियों की झलकियां पत्रिका के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया गया है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन पर बधाई एवं पत्रिका के स्वर्णिम भविष्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जया भगत
जया भगत

प्रधान महालेखाकार



संदेश



हमारे कार्यालय की गृह-पत्रिका 'किरण' के 43 वें अंक का प्रकाशन हमारे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है एवं मुझे विश्वास है कि इस श्रृंखला की पूर्व प्रकाशित अंकों की तरह यह भी अपने उद्देश्य में सफल होगी।

हमारे कार्यालय की पत्रिका 'किरण' हमारे कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। 'किरण' पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कार्यालयीन जीवन में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का एक सकारात्मक कदम है। कार्यालयीन स्तर पर विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उत्तम तरीकों में से एक है।

हिंदी राष्ट्र की राजभाषा हैं। कार्यालयीन स्तर पर हिंदी का उत्तरोत्तर विकास करना हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हम सभी चिंतन, मनन व संप्रेषण का कार्य हिंदी में करेंगे।

मैं, पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

अक्षय मोहन खंडारे

वरिष्ठ उप महालेखाकार
एवं राजभाषा अधिकारी



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संदेश



कार्यालय की हिंदी गृह-पत्रिका 'किरण' के 43 वें अंक के प्रकाशन के अवसर पर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। निरंतर कार्यालयीन काम के दवाबों के बीच यह पत्रिका कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा के विकास हेतु एक सार्थक मंच प्रदान करती है। रचनाधर्मिता के माध्यम से राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार व प्रगति सुनिश्चित करना ही इस पत्रिका का मूल उद्देश्य है।

हिंदी एक सहज, सरल एवं सुबोध भाषा है। इसी कारण एक ओर जहाँ हिंदी आम लोगों में लोकप्रिय और कार्यालय के दैनिक उपयोग में काम आने वाली भाषा है, वहीं दूसरे ओर यह पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोये रखने का काम भी करती है। इसी के साथ हिंदी साहित्य और राजभाषा के विकास में कार्यालयीन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए बहुत से ई-टूल जैसे-कंठस्थ, लीला, ई-महाशब्दकोश, हिंदी शब्द सिंधु इत्यादि उपलब्ध है जिनके उपयोग से हिंदी में काम करना और भी सरल हो गया है।

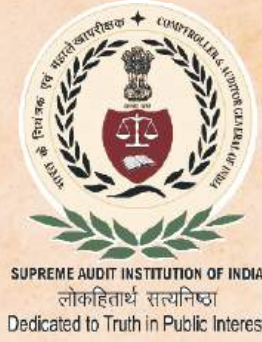
मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पत्रिका के प्रकाशन में अपना योगदान देते रहेंगे एवं अपने कार्य से भी संबंधित लेख लिखकर पत्रिका को ज्ञानवर्धित व रोचक बनाने का प्रयास करेंगे।

पत्रिका की सफलता की शुभकामनाओं सहित।

भुषण

डॉ. भुषण बी. भिरुड

वरिष्ठ उप महालेखाकार



संदेश



कार्यालय की गृह पत्रिका “किरण” के 43 वें अंक के प्रकाशन पर मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह पत्रिका न केवल कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनात्मकता और सृजनशीलता को उजागर करती है बल्कि यह हमारे संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी हैं।

हिंदी भारत की एकता, विविधता और समृद्धि का प्रतीक हैं। आज यह भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में एक संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। हमें इसकी बढ़ती उपयोगिता को समझते हुए, इसका सदुपयोग और संरक्षण करना चाहिए। कार्यालय में हिंदी पत्रिका प्रकाशित करने का उद्देश्य राजभाषा का प्रचार-प्रसार करना भी हैं।

मैं पत्रिका से जुड़े सभी रचनाकारों, लेखकों तथा सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि यह पत्रिका ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ कार्यालय के कार्य-कलापों से भी सुसज्जित होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

जे. बी. गुप्ता

जे. बी. गुप्ता

वरिष्ठ उप महालेखाकार



संपादकीय

नमस्ते।

‘राजभाषा हीरक जयंती’ (1949-2024) के अवसर पर हमारे कार्यालय की गृहपत्रिका ‘किरण’ के 43 वें अंक को आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है क्योंकि इस वर्ष हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं एवं राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में हमारे कार्यालय की गृहपत्रिका ‘किरण’ के दो अंक प्रकाशित करने में हम सफल हुए।

राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यालय निरंतर प्रयासरत हैं और इसी क्रम में गृहपत्रिका ‘किरण’ का भी प्रकाशन किया जाता है।

भारत वर्ष में भाषायी विविधता है। इसे ‘विविधता में एकता’ के रूप में विकसित एवं समृद्ध करने की दिशा में तथा भारत की सभी भाषाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ‘भारतीय भाषा अनुभाग’ की स्थापना का लोकार्पण किया गया।

‘किरण’ पत्रिका के इस अंक में हमने प्रयास किया है कि विविध विषयों पर लेख प्रकाशित करें एवं पत्रिका को रोचक, पठनीय एवं उन्नत बनाएँ। प्रस्तुत पत्रिका में हमारे रचनाकारों ने अपने अनुभवों को संस्मरण, लेख एवं कविता के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

हमें खुशी है कि इस संगठन में हमें राजभाषा हिंदी का कार्य करने का एवं इस पत्रिका को संपादित करने का अवसर मिला। हम राजभाषा परिवार की ओर से कार्यालय की प्रधान महालेखाकार महोदया, सुश्री जया भगत, के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास हेतु किरण पत्रिका के दो संस्करण प्रकाशित करने हेतु प्रेरणा मिली। साथ ही वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), श्री अक्षय खंडारे महोदय, को भी धन्यवाद देते हैं जिनके नेतृत्व में हमने इस पत्रिका का सफल प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री भूषण भिरुड, श्री जे. बी. गुप्ता एवं श्रीमती वंदना तायडे, व. ले. अधि. (राजभाषा) के प्रति भी आभार ज्ञापित करते हैं जिनके सहयोग के बिना यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती।

साथ ही हम समस्त रचनाकारों, सहयोगियों एवं चयन समिति के सदस्य श्री सी. आर. हेडाऊ, वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं श्री डी. पी. पळणीटकर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस पत्रिका को वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए समय निकाला।

हमारा यह प्रयास कितना सफल हुआ है, इसका निर्णय आप सभी सुधी पाठकों पर छोड़ते हैं। अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएँ।

धन्यवाद।

राजभाषा अनुभाग

सुश्री जया भगत, प्रधान महालेखाकार महोदया का प्रभाव, अंतर्दृष्टि और प्रेरणा श्रृंखला हेतु HARVARD KENNEDY SCHOOL WOMEN'S ALUMNI NETWORK द्वारा लिया गया साक्षात्कार

जया भगत जी एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं जो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के तहत प्रधान महालेखाकार के रूप में कार्यरत हैं। जया जी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और नगरपालिका क्षेत्रों में भ्रष्टाचार विरोधी जांच का नेतृत्व किया है। “PENSION AT YOUR DOORSTEP” पेंशन कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने डिजिटल समाधानों को नियोजित किया, जिससे 28,000 वरिष्ठ नागरिकों को उनके घरों से पेंशन संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता मिली। उन्होंने 28 देशों की सरकार के केंद्रों में सहकर्मी से सहकर्मी ज्ञान विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। जया जी ने विश्व बैंक समूह और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ प्रबंधक के रूप में और संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटिंग सेंटर के लिए बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में छह महाद्वीपों पर कार्य किया है। उन्हें HKS Lucius N. Littauer पुरस्कार (2013), सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का स्वर्ण पदक (1998), सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखा में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी के राष्ट्रीय पुरस्कार (2021 और 2022) से सम्मानित किया गया है और भारत-यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड्स 2024 में गवर्नेस में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई है। जया जी LSE, UK में शेवनिंग गुरुकुल स्कॉलर और GAO, USA में इंटरनेशनल ऑडिटर फेलो थीं। उन्होंने आईआईएम-कलकत्ता से एमबीए और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से एमपीए किया है।



भारत में अपने दैनिक कार्य में एक महिला के रूप में आपने किन चुनौतियों का सामना किया? क्या ये चुनौतियाँ अन्य देशों में अलग थीं जहाँ आपने काम किया?

भारत में एक सरकारी लोक सेवक के रूप में, मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि सरकार में सेवा की स्थितियाँ न केवल महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि महिलाओं को वांछनीय कार्य-जीवन संतुलन बनाने के कई अवसर भी प्रदान करती हैं। काम को पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ जोड़ने का एक सहायक वातावरण है और महिलाएँ पदोन्नति से

वंचित हुए बिना मातृत्व और बाल देखभाल छुट्टी ले सकती हैं। वरिष्ठता के साथ-साथ योग्यता के आधार पर पदोन्नति भी महिलाओं को वरिष्ठ नेतृत्व पदों तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाती है। इस प्रकार यह स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी प्रगतिशील है जहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन हमेशा सामान्य आचरण वाली स्थिति या कार्यशैली नहीं होती है और वहाँ वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर महिलाओं की संख्या अधिक नहीं हो सकती है।

हालाँकि, कार्यस्थल एकाकी नहीं होते हैं। कार्यस्थलों में पदानुक्रम में कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो किसी भी बातचीत में अपना पूर्वाग्रह और बहिष्कारपूर्ण बर्ताव दर्शाते हैं। फिर भी, मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ती क्योंकि मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि ऐसे कुछ व्यक्तियों की तुलना में, कई अन्य लोग हैं, जो सहायक सलाहकार हैं, मेधावी महिलाओं की वकालत करने वाले प्रायोजक हैं और संगठन के भीतर और विशाल दुनिया दोनों में बेहतर बदलाव के लिए योगदान करने वाले निष्पक्ष सोच वाले सहकर्मी हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका क्या है और प्रधान महालेखाकार के रूप में आज आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं ?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो राज्यों और भारत के संघ सरकार के लिए लेखा परीक्षा प्राधिकरण और राज्यों के लिए लेखा प्राधिकरण है। लेखा भाग में, राज्यों में मौजूद महालेखाकार कार्यालय, राज्य के लेखों का संकलन करते हैं और कई राज्यों में, हकदारी से संबंधित कार्य जैसे राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन और भविष्य निधि खातों के रख रखाव और कुछ राज्यों में, वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन और भत्ते का भी ध्यान रखते हैं। लेखापरीक्षा के मोर्चे पर, महालेखाकार का कार्यालय राज्य सरकारों की

गतिविधियों का लेखा परीक्षण करता है और प्रधान निदेशक का कार्यालय संघ सरकार की गतिविधियों का लेखा परीक्षण करता है। सीएजी के लंदन, वाशिंगटन डीसी, कुआलालंपुर और (आगामी) नैरोबी में भी कार्यालय हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बाह्य लेखापरीक्षा (ऑडिट) का कार्य सौंपा गया है।

महाराष्ट्र राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के रूप में मेरी वर्तमान भूमिका में, मैं 400 अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय की प्रमुख हूँ। मैं कार्यालय के समग्र प्रबंधन और प्रशासन, लेखाओं से संबंधित कार्य जैसे कि राज्य के वित्त और विनियोग लेखों की तैयारी जिसमें लोक निर्माण कार्यों, वन, जल संसाधन, कोषागार लेखों के साथ-साथ पृथक प्राकृतिक संसाधन लेखे सम्मिलित हैं, के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं 318,000 से अधिक पेंशनभोगियों और 50,877 भविष्य निधि अभिदाताओं के लिए पेंशन और भविष्य निधि अधिकारों को अधिकृत करके सार्वजनिक सेवा वितरण का निरीक्षण भी करती हूँ।

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपके कुछ सबसे कठिन कार्य कौन से थे ?

मैंने अपने लगभग 29 साल के करियर के दौरान कुछ बहुत ही जटिल और कठिन काम किए हैं।

इनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के निदेशक (वित्त) के रूप में किया, जो 2012-13 में 200 अरब INR (लगभग USD 3.7B) के बजट के साथ सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। मई 2010 में NRHM में शामिल होने के कुछ महीनों बाद, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों को हिंसक हत्याओं का निशाना बनाए

जाने की परेशान करने वाली रिपोर्टें आईं। मुझे राज्य में NRHM निधि के उपयोग की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था। मैंने वित्तीय रिकॉर्ड (अभिलेखों) की समीक्षा करने के लिए अपनी टीम के साथ राज्य की राजधानी लखनऊ और 12 जिलों में NRHM कार्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। हमने राज्य में NRHM कार्यक्रम के संचालन में प्रमुख अनियमितताओं और लीकेज को रेखांकित करते हुए, दो-खंडों में, चार सौ पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य को रिपोर्ट जारी की। इसके बाद, न्यायिक अदालतों और पुलिस ने आगे की जांच, छापे और आपराधिक कार्यवाही की। परिणामस्वरूप, दो राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों, डॉक्टरों और चिकित्सा उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इसके बाद मेरी टीम ने एनआरएचएम में बेहतर वित्तीय प्रबंधन, लेखा और लेखापरीक्षा के लिए परिचालन दिशा निर्देश तैयार किए, ताकि सार्वजनिक निधि के उपयोग में अधिक वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रणालियों को संस्थागत बनाया जा सके। देश भर में जारी किए गए ये दिशा निर्देश आज भी स्वास्थ्य वित्तीय अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, जबकि हमारे द्वारा इन्हें पहली बार लागू किए जाने को 13 साल से भी अधिक समय हो गया है। एक और असाइनमेंट जिसका मैं जिम्मेदार बनना चाहूंगी, वह है जब 2023 में मुझे भारत के CAG द्वारा 2019 से 2022 तक के व्यय और संविदाओं के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की एक विशेष लेखापरीक्षा (ऑडिट) का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था। BMC भारत की वित्तीय राजधानी और दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर मुंबई का शासी नागरिक निकाय है और नगरपालिका सेवाएं (सड़कों,

पुलों, अस्पतालों का निर्माण और रखरखाव, सीवेज कार्य, भूमि का स्वामित्व और बिक्री आदि) प्रदान करता है। यह भारत की सबसे धनवान नागरिक निकाय है और 2023-24 में 526.19 अरब INR (लगभग USD 6B) के वार्षिक बजट के साथ एशिया में सबसे धनवान निकायों में से एक है। मैंने छह सप्ताह तक इस क्षेत्र में गहन ऑडिट का नेतृत्व किया और एक व्यापक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सार्वजनिक धन की योजना और उपयोग और परियोजना और संविदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और अनियमितताओं को उजागर किया। महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट के निष्कर्षों की आगे जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुंबई के पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया।

बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक वातावरण में इन जटिल और तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के दौरान आपने क्या सबक सीखा है? आपको साहस कहाँ से मिला?

मुझे प्राप्त अनुभव परिवर्तनकारी रहे हैं जिससे मुझे गहरी आत्म-जागरूकता और उद्देश्य की भावना मिली है। मेरे सामने आने वाली कई चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक परिस्थितियाँ अभूतपूर्व थीं और मेरे पिछले जीवन के अनुभवों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न थीं। ऐसा नहीं है कि मुझे चुनौतियों का सामना करने में कोई डर नहीं लगा लेकिन कठिन परिस्थितियों ने मेरे सबसे प्रिय मूल्यों को सामने लाया और मुझे यह समझने में मदद की कि मैं क्या नहीं करूँगी या स्वीकार नहीं करूँगी। मैंने सीमाएँ स्थापित करने की शक्ति सीखी। मैंने अपने साहस, प्रतिस्कंदन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के संचय के गहराई की खोज की। परिणामस्वरूप आत्म-बोध मुक्तिदायक है और मेरा जीवन अपने सच्चे उत्तर का अनुसरण करने के लिए समृद्ध है।

मैं यह भी समझ गयी हूँ कि कठिन परिस्थितियों

में नेतृत्व करना एकाकी हो सकता है। तनावपूर्ण और सार्वजनिक परिस्थितियों में नेता के रूप में, आपको कई जिम्मेदारियों और दबावों को संभालना पड़ता है और अपनी टीम का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि अन्य लोग सुनने के लिए वहाँ हो सकते हैं, दिन के अंत में यह आपकी अकेले की नेतृत्व यात्रा है और कभी-कभी, कठिन क्षेत्रों को पथ-निर्देशित (नेविगेट) करने का एकमात्र तरीका चलते रहना और दृढ़ रहना है। मैंने अनिश्चितता और परिवर्तन के साथ अधिक सहज रहना सीख लिया है और यह समझ लिया है कि सब कुछ बीत जाता है, यहां तक कि कठिन क्षण भी।

क्या एक सरकारी लोक सेवक के रूप में कोई ऐसी उपलब्धि है जिस पर आपको विशेष रूप से गर्व है ?

वर्ष 2019 में लॉकडाउन और कोविड की महामारी के बीच मुंबई में प्रधान महालेखाकार के रूप में, मैंने वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों की कठिनाइयों और संघर्षों को देखा, जो अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए बहुत दूर-दूर से यात्रा करते थे। राज्य के कोषागारों द्वारा पेंशन जारी किए जाने से पहले, आवश्यक समीक्षा और अनुपालन जाँच के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा पेंशन संबंधी कागजात मेरे कार्यालय भेजे जाते थे। कई बुजुर्ग पेंशनभोगीयों का कई वर्षों की देरी के कारण अपनी पेंशन प्राप्त किए बिना ही देहांत हो गया। पेंशनभोगीयों के लिए चीजों को आसान बनाने में मदद करने के लिए, मैंने 'पेंशन आपके द्वार पर' पहल बनाई और शुरू की, जिसके तहत पेंशनभोगी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते थे या टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते थे और मेरे अधिकारी व्हाट्सएप या ज़ूम वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे उनके घर बैठे संपर्क करते थे और कुछ ही दिनों में उनके लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करते थे। शिकायतों के समाधान में तेज़ी लाने के लिए, जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ राज्य कोषागार और वित्त अधिकारियों को भी बुलाया गया। हमने ऑनलाइन

‘नॉलेज चैनल’ भी लॉन्च किया, एक ईमेल हेल्पडेस्क स्थापित किया, पेंशनभोगीयों और राज्य वित्त अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए गाईडबुक, पोस्टर और फ़्लायर्स बनाए। इसके अतिरिक्त, मेरी टीमों ने क्षेत्र में सार्वजनिक आउटरीच सत्र आयोजित किए। इस प्रकार हमने वरिष्ठ नागरिकों को बहुत ही मानवीय और कुशल तरीके से अपनी सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया और 28,000 से अधिक पेंशनभोगीयों की मदद की। ‘पेंशन आपके द्वार पर’ को CAG के सर्वोत्तम कार्यों के राष्ट्रीय संग्रह में शामिल किया गया है और राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय और मीडिया से इसे प्रशंसा मिली है। मेरे लिए, पेंशनभोगीयों की मुस्कान और उनका आशीर्वाद इस पहल को मेरे दिल के करीब बनाता है।

आपको भारतीय होने पर गर्व क्यों है ?

भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसमें समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएँ हैं, जहाँ विभिन्न जीवन पद्धतियाँ, क्षेत्र, धर्म, समुदाय और विचारधाराएँ एक साथ आती हैं। अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा में सदियों पुरानी मान्यता हमारी विरासत का हिस्सा है। एक सरकारी लोक सेवक के रूप में, मुझे हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए आकांक्षाओं और मार्गदर्शन की स्पष्ट और सुंदर अभिव्यक्ति के साथ भारतीय संविधान की सेवा करने का सम्मान प्राप्त है। भारत की कल्पना में एक उत्थानशील महानता और लालित्य का बोध होता है।

सार्वजनिक सेवा के अलावा, क्या आप कुछ और करना चाहेंगे ?

मेरी माँ के निस्वार्थ प्रेम और मार्गदर्शन ने मुझे सपने देखने और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने की शक्ति दी। मैं अपने अनुभव और प्रतिभा का

उपयोग युवा लड़कियों और महिलाओं के समर्थन में करना चाहूंगी, जो कि उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। मैं शासन, भ्रष्टाचार विरोधी और लोक कल्याण के लिए नवाचार से संबंधित विषयों पर लिखना और पढ़ाना चाहती हूँ। मैं संगीत, लेखन और कला में अपनी रचनात्मक गतिविधियों और रुचियों पर अधिक समय बिताने के लिए भी उत्सुक हूँ।

प्रेरणा

आप अपने साथ काम करने वाली कनिष्ठ (युवा) महिलाओं को क्या सलाह देती हैं?

- सबसे पहले, मैं ईमानदारी के महत्व के बारे में बात करती हूँ और कई साल पहले लोक सेवा में एक नए प्रवेशकर्ता (अभ्यर्थी) के रूप में मुझे जो सलाह मिली थी, उसे साझा करती हूँ - 'हमेशा विशेषाधिकार या अपनी सुविधा के मामले में पीछे हटें लेकिन सिद्धांत के मामले में कभी पीछे न हटें।'
- सरकारी नियमों और संस्थागत समर्थन द्वारा प्रदान किए गए समान अवसर का उल्लेख करते हुए, मैं उन्हें कड़ी मेहनत करने, भरोसेमंद होने, जिज्ञासु होने और ज्ञान और सीखने की तृष्णा रखने, अपने कार्य के उत्तरदायित्वों की जवाबदेही लेने और अपने संचार कौशल का निर्माण करने को कहती हूँ ताकि वे नेतृत्व कर सकें। मैं उन्हें अवसर आने पर कार्य की चर्चा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, बजाय इसके कि वे सुर्खियों में आने या ध्यान आकर्षित करने या विरोध के डर से अपनी आवाज़ को दबाएँ।
- मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि वे अपने मौन के माध्यम से कभी भी किसी अस्वीकार्य या विषाक्त व्यवहार को सामान्य न बनाएँ जिनका वे सामना कर रही हैं।
- मैं उन्हें बताती हूँ कि वे अपने दृष्टिकोण और

नैतिकता के माध्यम से अपने किसी भी पद को गरिमा प्रदान कर सकती हैं और अनुशासित नेतृत्व के लिए प्रामाणिकता और समर्थन दोनों की आवश्यकता होती है।

- मैं महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात करती हूँ, न केवल व्यावहारिक रूप से काम और बाहर दोनों जगह खींचतान, दबाव और जिम्मेदारियों के संदर्भ में, बल्कि सूक्ष्म या प्रत्यक्ष तरीकों से भी जिससे उन्हें पुरुषों और अन्य महिलाओं दोनों से ईर्ष्या, पूर्वाग्रह या भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

- और अंत में, मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि वे किसी प्रायोजक, गुरु या सहयोगी की उपस्थिति की सराहना करें और गहराई से उसका मूल्यांकन करें, चाहे वह किसी भी लिंग का हो क्योंकि ऐसा व्यक्ति सबसे दुर्लभ उपहार है और जब उन्हें अवसर मिले, तो उन्हें अन्य महिलाओं के लिए वह सहयोगी, गुरु या प्रायोजक बनना चाहिए। अपने वर्तमान कार्य में, मैंने उन महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में रखने का अभ्यास किया है जिनमें क्षमता और संभावना है। मेरा मानना है कि अन्य महिलाओं की सहायता और समर्थन करने के लिए समय निकालना सबसे सार्थक चीजों में से एक है जो कोई भी वरिष्ठ महिला कर सकती है। भले ही आपको ज़रूरत के समय समर्थन न मिला हो, लेकिन जब आपकी बारी आए तो बेहतर इंसान बनें। हम एक झटके में दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आस-पास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं।





श्रीमती पिहु भट्टार्चाजी

सहायक पर्यवेक्षक

महिला सशक्तिकरण के सात सिद्धांतों में आम तौर पर लैंगिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, हिंसा से मुक्ति, राजनीतिक भागीदारी और समान अवसर शामिल हैं।

‘महिला सशक्तिकरण’ शब्द का तात्पर्य यह है कि महिलाएँ पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हैं उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। पितृसत्तात्मक समाज ने दुनिया भर में महिलाओं की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया। महिलाओं को आगे बढ़ने या कोई राय रखने में महिलाओं का महत्व समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ता रहा और यह स्पष्ट हुआ कि समाज का समुचित विकास केवल पुरुषों से नहीं, बल्कि महिलाओं के योगदान से भी संभव है।

कोई भी महिला तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब तक वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो। पुराने समय में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सिमित रखा जाता था, लेकिन अब वे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से महिलाओं ने राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, खेल और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यदि समाज के नीचले पायदान की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो महिला सशक्तिकरण सफल नहीं हो सकता। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद, उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है अब महिलाएँ वे कार्य भी कर सकती हैं जो पहले केवल पुरुषों के लिए

आरक्षित माने जाते थे। आज कई महिलाएँ राजनीति, बस ड्राइविंग, पेट्रोल पंप संचालन, कृषि आदि में सफलता प्राप्त कर रही हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की तुलना अन्य देशों से नहीं की जा सकती। वैदिक युग में महिलाओं का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। ‘सहधर्मिणी’ शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित था। जिसका अर्थ है बराबरी का साथी। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को सम्मान, शिक्षा प्राप्त थी।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, भारतीय संस्कृति दूषित हो गई, जब इस देश पर मुगलों और बाद में अंग्रेजों का शासन हुआ तो परिणामस्वरूप, महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त था वह धीरे-धीरे खो गया।

आजादी के बाद धीरे-धीरे महिलाओं ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की कोशिश की। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री जैसे उच्च पदों पर महिलाएँ कार्य कर रही हैं। इसके अलावा पी.वी. सिन्धु और स्मृति मंधाना जैसी कई प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ी हैं और ए. चटर्जी या बी विजयलक्ष्मी जैसी प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिक इनमें से कुछ हैं। भारत में महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाकू बलों में भी शामिल हो रही हैं।

आज महिलाएं पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और सशक्त हैं। हालाँकि, लंबा रास्ता अभी भी तय करना बाकी है। सभी सैन्य पद महिलाओं के लिए खुले

नहीं हैं। फिल्म उद्योग और खेल क्षेत्र में भी वेतन अंतर है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपनी पसंद के निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना भी है। महिलाओं का सशक्तिकरण निश्चित रूप से सभी महिलाओं को अपनी शिक्षा और अपनी पसंद के जीवन के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। महिला सशक्तिकरण मिशन महिलाओं को सकारात्मक आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भर होने और दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी पसंद की स्थिति बनाने की क्षमता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में समान अवसर उपलब्ध हों। महिलाओं को सशक्त बनाने का मतलब उन्हें उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर होने के समान अवसर नहीं दिये गये जिसके कारण वे केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रही। हालाँकि महिलाएँ देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अपेक्षाकृत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं को समान अवसर प्रदान नहीं किये जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होगा जब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर समान अधिकार मिलेंगे। उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी भूमिका जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। अभी भी, भारत में कई प्रान्तों की महिलाओं को पितृसत्ता के बंधनों से बाहर आना मुश्किल हो रहा है - खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

भारत को महाशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए महिलाओं का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें खुद को विकसित करने का मौका देने में प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे हासिल करने के लिए हमें मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें समान काम के लिए पुरुषों के समान वेतन भी मिलना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारा लक्ष्य पूरे देश से बाल विवाह और दहेज प्रथा को हटाना भी होना चाहिए। भारत सरकार भी भारत को महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सकें और वे अपना विकास कर सकें। इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश देना अनिवार्य कर दिया। भारत सरकार ने यह भी घोषणा कि अब महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल भी उपलब्ध होंगे।

संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएँ आत्मनिर्भर बनें और अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर सकें। समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और इसके उन्मूलन के लिए प्रभावी योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

इस प्रकार, जब हम एक महिला को सशक्त बनाते हैं तो एक पीढ़ी को सशक्त करती हैं इससे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महिलाओं की भूमिका प्रेरणादायी बन जाती है।



इंद्रधनुष के रंग ...



श्री सलीम एम. शेख

वरिष्ठ लेखापाल

इंद्रधनुष के रंग हैं इसमें, हैं रंगों की चाल
सारे जग में एक ही ऐसा, 'भारत देश महान'
थोड़ी सी तकरार यहाँ हैं, पर ज्यादा हैं प्यार
सारे जग में एक ही ऐसा, 'भारत देश महान'
ये मेरा 'भारत देश महान' ॥ 1 ॥

इश्क हमें हैं अपने ख से,

प्यार हमें हैं सब बन्दों से

इशु मसीह और गुरुनानक का यहीं तो हैं पैगाम
सारे जग में एक ही ऐसा, 'भारत देश महान'
ये मेरा 'भारत देश महान' ॥ 2 ॥

सबसे अलग पहचान हैं मेरी भारत देश हैं शान ये मेरी
पावन मिट्टी में जन्मा हूँ ...

करता हूँ अभिमान

सारे जग में एक ही ऐसा, 'भारत देश महान'
ये मेरा 'भारत देश महान' ॥ 3 ॥

“सबसे अलग इस दुनियाँ की पहचान बनो
मजबूरो के जीने का सामान बनो
बाद में बनना हिन्दू या मुस्लमान तुम
सबसे पहले अच्छे नेक इंसान बनो”



श्रीमती निशी शर्मा

पत्नी - श्री संतोष कुमार
सहायक लेखा अधिकारी

शिक्षक वो हैं, जो शिक्षा देते हैं ।
क्या भला, क्या बुरा हमें समझाते हैं ।
हमारे जीवन का सही
मकसद क्या शिक्षक ही बतलाते हैं ।
अपने बच्चों पर तो सभी प्यार जताते हैं ।
परंतु शिक्षक ही केवल हैं जो
दूसरों के बच्चों पर अपना प्यार लुटाते हैं ।
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या हो कोई वकील
शिक्षक ही है जो कल का भविष्य बनाते हैं ।
नन्हे-नन्हे कदम जब विद्यालय में
जाते हैं क, ख, ग से लेकर
स्वर और व्यंजन हमें सिखाते हैं ।
इस पुरी दुनिया में माता पिता के
बाद शिक्षक ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं ।
है इतिहास साक्षी बिना गुरु और शिक्षा के
ना हुई किसी की नईया पार
इसीलिए है ये मेरी विनती सबसे
कर शिक्षित अपने बच्चों को
घर में भर ले खुशियाँ अपरंपार
जीवन में जो दिया पहला ज्ञान
उन शिक्षकों को मेरा कोटी-कोटी प्रणाम
हमारे जीवन को जो सजाते हैं
वही हमारे शिक्षक कहलाते हैं ।





श्री महेश सुभाष ईशी

वरिष्ठ लेखापाल

हमारा सूर्य ही ऊर्जा का मुख्यस्रोत है जिस पर पृथ्वी हमेशा निर्भर रही है। यह सबसे शक्तिशाली है और इसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है और साथ ही ऊर्जा संक्रमण के निर्विवाद समर्थकों में से एक है।

सौर ऊर्जा के कुछ लाभ कई अन्य नवीकरणीय स्रोतों द्वारा साझा किए जाते हैं। जिनमें इन सबसे महत्वपूर्ण हमारे ग्रह को जलवायु परिवर्तन से बचाने की क्षमता है : सूर्य की किरणों को कैप्चर करना और फिर उनका दोहन करना हमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन किए बिना हमारे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की अनुमति देता है और हमें ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है।

लेकिन सौर ऊर्जा की क्या अनूठी विशेषताएँ हैं जो इसे पवन, भूतापीय और जलविद्युत ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोतों से अलग बनाती हैं? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी, 2024 को **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना** को मंजूरी दी है। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। वितरण उपयोगिता (डिस्कॉम या बिजली/ऊर्जा विभाग, जैसा भी मामला हो) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य

कार्यान्वयन एजेंसियां (एसआईए) होंगी।) योजना के तहत, डिस्कॉम को अपने-अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाजनक उपाय करने की आवश्यकता होगी जैसे कि नेट मीटर की उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और प्रतिष्ठानों को चालू करना, विक्रेता पंजीकरण और प्रबंधन **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कैसे काम करती है?** इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत की 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है।

वर्तमान बेंचमार्क मूल्यों पर, इसका अर्थ होगा 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है। 5 HP सोलर वाटरपंप की नवीनतम कीमत रु. 1,80,000 से 3,15,000 रुपये है।

घर में सोलर पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा? यह उनके प्रकारों पर निर्भर करता है। यदि Monocrystalline Solar Panels लगाते हैं, तो आपको प्रति किलो वाट करीब 85 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, पूरे सोलर सिस्टम को लगाने में आपको करीब 1 लाख रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये तक का खर्च आएगा।

सोलर पैनल कितने साल चलता है?

सर्विस यानी, जो कंपनी सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी की पूरी प्रोसेस में मदद करें, पैनल

लगवाते समय और पैनल लगने के बाद कोई परेशानी आने पर उसका समाधान करें और समय-समय पर मेंटनेंस का भी ध्यान रखें। सोलर पैनल्स की लाइफ 25 साल की होती है, इसलिए आफ्टर सेल्स सर्विस जरूरी है।

25 साल बाद सोलर पैनल काम करना क्यों बंद कर देते हैं ?

सभी सौर पैनल समय के साथ धीरे-धीरे खराब होते जाते हैं, जिसका मतलब है कि वे समान मात्रा में सूर्य की रोशनी से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। ऐसा कैसे और क्यों होता है ? विभिन्न बाहरी कारक (जैसे मौसम) पैनलों को खराब करते हैं और बिजली उत्पादन की उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

क्या सोलर पैनल रात में काम करता है ?

क्या यह रात और दिन में काम करता है ? संक्षेप में, सौर पैनल रात के समय काम नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बिजली पैदा करने के लिए सीधे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है।

2024 में सोलर पंपों के लिए सब्सिडी कितनी है ?

राज्य सरकार अपनी सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 50% करेगी। कृषि पंप सेट फीडर सोलराइजेशन कार्यक्रम के पहले चरण के हिस्से के रूप में, 1,320 मेगावाट ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए उपाय शुरू किए गए हैं, जिससे 337,000 किसानों को लाभ मिलेगा।

योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र हैं ?

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

आपके पास एक ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।

घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।

परिवार को सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

सबसे पहले, इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके किया जाना है। राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का ब्रांड चुन सकते हैं जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।

सभी पूछताछ के लिए संबंधित लिंक: पर जाएं

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

प्रेस विज्ञप्ति : रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करें

प्रेस विज्ञप्ति: पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लाभ

पीएम सूर्याघर के तहत डिस्कॉम को घटक प्रोत्साहन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश।

स्रोत - गुगल



मोक्षकाष्ठ-पर्यावरण पूरक दाह-संस्कार!!



श्री प्रशांत कपाले

सेवानिवृत्त प्रभारी हिंदी अधिकारी

पांच वर्ष पूर्व की घटना है मैं हमारे मित्र की माताजी की अंत्येष्टि में शहर के दहन घाट पर गया था। मैंने पाया वहां किसी एन.जी.ओ. (अ-शासकीय संगठन) के माध्यम से शववाहिका द्वारा शव को लाया गया था। मैंने इस श्मशान में देखा कि कुछ युवको ने बोरे में भरकर गट्टू नामक “मोक्षकाष्ठ” लाए हुए हैं जिसके माध्यम से शव का दाह संस्कार किया जा रहा है।

यह गट्टू पर दाह संस्कार नागपुर नगरी के लिए मान लो आठ साल से विभिन्न दहन घाट पर किया जा रहा है। इसकी शुरुवात लिविंग लाईफ फाऊंडेशन (एन.जी. ओ.) के प्रणेते श्री विजय लिमये जी ने की थी। कुछ वर्षों से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। पर्यावरण पूरक अंत्यसंस्कार करके, लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिये हम निरंतर प्रयासरत हैं। मोक्षकाष्ठ नामक कंडे का लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करके हम साबित कर रहे हैं कि, पेड काटकर दहन कार्य करने की अपेक्षा मोक्षकाष्ठ बहुत ही अच्छा विकल्प है। आमतौर पर शव का दहन पुरातन काल से जंगल से कटाई कर लकड़ी द्वारा किया जाता है। इसमें एक शव के लिए न्यूनतम दो पेडों की लकड़ी लगती है।

भारत देश में बहुसंख्य लोग हिंदुधर्म से मिलते-जुलते रिवाजों को मानकर, मृत शरीर को अग्नि देकर पंचतत्त्व में विलीन करते हैं। इनमें प्रमुख जैन, बौद्ध और सिख आदि धर्म हैं। इस विधि के अनुसार मृतकों का दाह संस्कार लकड़ी का इस्तेमाल करके किया जाता है।

बहुसंख्य लोगों का आज भी यह अंधविश्वास है कि सिर्फ लकड़ी दहन से ही उनके प्रियजनों को मोक्ष प्राप्ति होकर, स्वर्ग में जगह मिल जायेगी, इस कारण

दाह संस्कार करने के लिये पेडों की हत्या करके लकड़ी प्राप्त की जाती है।

कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि अपने स्वार्थ या लाभ के लिये दूसरे का नुकसान करो या उसे नष्ट करो तथा कोई धर्मग्रंथ ये नहीं कहता कि मृत व्यक्ति को सिर्फ लकड़ी से दाह संस्कार करने पश्चात उसे मोक्ष प्राप्त होगा। सभी धर्म कहते हैं कि हमारा शरीर पंचतत्त्व से बना है और मृत्यु के बाद, हमें फिर से ब्रह्मांड के मूलतत्त्व में विलीन होना है। इस क्रिया के लिये अग्नि एक माध्यम है जिससे हम कुछ ही समय में पंचतत्त्व में विलय प्राप्त करते हैं। कोई भी धर्मग्रंथ में मोक्षप्राप्ति के लिये लकड़ी का प्रयोग अनिवार्य है, ये नहीं लिखा है। बस अग्नि देना अनिवार्य है, इंधन कोई भी चलेगा।

काफी शतकों पहले हमारे देश में गोबरी (कंडे) दहन की प्रथा प्रचलित थी किन्तु पिछले कुछ दशकों से विविध कारणों से इस प्रथा का अंत हुआ, और लकड़ी का प्रयोग आम हो गया, इस तरह लकड़ी से दाह संस्कार का रिवाज शुरू हो गया।

“आधी गोबरी घाट पर पहुंच गई” ये कहावत आज भी प्रचलित है, इसका अर्थ पुराने ज़माने में गोबरी दहन की प्रथा मौजूद थी। आज भी कई गावों में गोबरी दहन की प्रथा शुरू है, वहां के लोगों का कहना है कि यह रिवाज



कई शतकों से विरासत में हमे मिला है।

पुराने ज़माने में आबादी बहुत कम थी और पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा थी इसलिये उन्हें काटकर इस्तेमाल करने से पर्यावरण को नुकसान न के बराबर होता था, पर इक्कीसवीं सदी में ये प्रमाण उल्टा हो गया है जिसके कारण मनुष्य के अनुपात में पेड़ों की संख्या कम हो गई है।

हर मृत व्यक्ति के अंत्येष्टि के लिये हमें पन्द्रह साल के दो पेड़ काटने पड़ते हैं। इस तरह हिंदुस्तान में हर साल करीब 15 लाख अंत्यविधि में कई टन लकड़ी का इस्तेमाल करने से डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा मूल निवासी/देसी (Native) पेड़ों की (आम, अमरूद, नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, बबूल, इमली, संतरा) की हत्या की जा रही है। जिसका मतलब हम हर साल करीब 100 स्के.किमी. जंगल के बराबरी जितने पेड़ सिर्फ मात्र मृत शरीर को नष्ट करने के लिए हम काट रहे हैं जिसकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है तथा इससे इस प्रक्रिया में फैलने वाले धुंए से वातावरण में प्राणवायु की मात्रा रोज कम हो रही है।

मोक्षकाष्ठ - आमतौर पर किसान उपज निकालने के बाद खेत में आग लगाकर बची हुई घास, पराली आदि नष्ट करते हैं। हमने उसी पराली और गोबर



को उपयोग में लाने के लिये उसकी इट (गट्टू) बनवाई है जिसे मोक्षकाष्ठ कहते हैं। इसके साथ कड़ूनिंब, तुलसी, नीलगिरी और खेत खलिहानों से प्राप्त पेड़ों के पत्ते और छोटी डालिया मिलाई जाती हैं जिससे पर्यावरण की शुद्धी होती है तथा

धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये पवित्र भी माना जाता है। मोक्षकाष्ठ के उपयोग से किसानों को रोजगार और आर्थिक फायदा मिलेगा, जमीन और उपजाऊ बनेगी, अकुशल किसानों को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण घटेगा।

आम तौर पर एक अंत्येष्टि के लिये 300 किलो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ 10 से 15 लीटर केरोसीन या डिजल इस्तेमाल करके हम मृत शरीर की अवहेलना करते हैं! अच्छा विकल्प न होने से हमें इसका प्रयोग करना पड़ता था। अब हम इसमें बदलाव कर रहे हैं। काफी अध्ययन से हमें पता चला कि 250 किलो से अंत्येष्टि पूरी हो जाती है, जो पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल है।

नागपूर स्थित 12 दहन घाटों में से 7 घाटों पर नगर निगम के माध्यम से हमने 25000 से ज्यादा अंत्यसंस्कार, मोक्षकाष्ठ का इस्तेमाल कर के करीब पचास हजार पेड़ों को जीवनदान दिया है। यह प्रमाण अब भी नगण्य है। ये कार्य करने से प्रदूषण की मात्रा घट गई है और ग्रामीण किसानों को आमदनी का स्रोत मिला है।



इस कार्य से आगे बढ़कर हमने एक प्रयोग और भी किया है, श्मशान में अंत्येष्टि में प्रयोग की जानेवाली बंबू की सिंढी (तिरडी) का बंबू निकालकर उससे श्मशान में बनाए गए उद्यान के लिए बाड़ा बनाते हैं। इस उद्यान में विविध फूलों के पौधे लगाकर सुशोभित किया गया है। जिसके द्वारा पंछी, तितलीयां, भवरें, मधुमक्खियाँ आदि की तादाद बढ़ गई है तथा इस



तरह “जिवो जिवश्च जिवनम” की सार्थकता सिद्ध हो रही है। शवों पर चढ़ाए गए हार-पुष्पगुच्छ-लडीया तथा पेड़ों के पत्तियों का कम्पोस्ट खाद बनाकर पेड़ों को दिया जाता है। तथा श्मशान में मृत शरीरों की अतिरिक्त रक्षा यहाँ के पौधों को खाद के रूप में

दी जाती है इस श्मशान घाट से लगकर एक नाला बहता है, जिसके पानी की सिंचाई सबमर्सिबल पंप द्वारा कर

इस सम्पूर्ण परिसर को हराभरा रखने में सहयोग मिला है। इस में निकट भविष्य में एक और अध्याय यह भी जुड़नेवाला है, जो नाले का पानी इसमें प्रयोग में लाया जाता है उसकी सिंचाई भी सोलर पैनल के माध्यम से उत्पन्न बिजली के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

इस पर्यावरण पूरक प्रकल्प की प्रशंसा मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने “मन की बात” कार्यक्रम में भी की है। है ना यह सम्पूर्ण पर्यावरण पूरक श्मशान और हमारा प्रकल्प! आईए इस अनूठे प्रकल्प का अवलोकन करने, प्रेरणा लेने और अनुकरण करने हमारे शहर नागपुर।

आप भी अपने शहर में ऐसा प्रयोग कर कटते पेड़, घटते वन, बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु प्रण करें और पर्यावरण की रक्षा करें। सभी पाठकों से नम्र निवेदन है कि अपने प्रियजनों की अंत्येष्टि के लिये सिर्फ पर्यावरण पूरक मोक्षकाष्ठ का ही इस्तेमाल करें, और पर्यावरण बचाने में अनमोल सहयोग दें।



भारत के लोकप्रिय साहित्यकार



डॉ. नयना विलास पाटील

सहायक निदेशक (राजभाषा)

भाषा और साहित्य दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक किसी भाषा में साहित्य का सृजन हो रहा है, वह भाषा प्रगतिशील है। भाषा के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती और साहित्य के बिना भाषा का विकास असंभव सा प्रतीत होता है इसलिए साहित्य के बिना भाषा अधूरी है। साहित्यकार भाषा को आकर्षक एवं सुनहरा बनाते हैं। साहित्य काव्यांश (पद्य) तथा गद्यांशों का सोने का पिटारा है। साहित्य एवं कला को देश, धर्म, भाषा आदि का कोई बंधन बांधकर नहीं रख

सकता है। इसी तरह साहित्यकारों को कोई एक भाषा बांधकर नहीं रखती। प्रसिद्ध साहित्यकारों की प्रसिद्ध कृतियाँ सदैव सभी भाषाओं में अनुदित होती हैं। इस अनुवाद के माध्यम से साहित्यकारों की प्रतिभा और उनके विचार विभिन्न भाषा बोलनेवाली एवं समझने वाली जनता तथा समुदायों तक पहुँचते हैं। साहित्य में समाज को नए विचार, दृष्टीकोण, तत्वज्ञान एवं प्रेरणा देने की एवं समाज का मनोरंजन करने की क्षमता होती है। अपनी प्रतिभा से भाषा को प्रसिद्ध, सुसज्जित एवं विभूषित करनेवाले भारत के साहित्यकार हमारे लिए सदैव वंदनीय एवं प्रेरक हैं।

हमारी गृहपत्रिका, किरण के इस संस्करण के माध्यम से हम साहित्यकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु एवं उन्हें अभिवादन करने हेतु भारत के साहित्यकारों को समर्पित एक श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी, मराठी (महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषा) एवं अंग्रेजी भाषा के एक-एक साहित्यकार के बारे में जानेंगे। आशा है आपको यह श्रृंखला पसंद आएगी।

इस अंक में मराठी भाषा के चयनित साहित्यकार के रूप में महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री पु. ल. देशपांडे, हिंदी के चयनित साहित्यकार के रूप में श्री मुंशी प्रेमचंद एवं अंग्रेजी के साहित्यकार के रूप में श्री रस्किन बॉण्ड के साहित्य और जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।

श्री पु.ल. देशपांडे

श्री पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे एक लोकप्रिय मराठी हास्य लेखक, प्रसिद्ध अभिनेता, पटकथा लेखक, संगीतकार एवं गायक भी थे। उनके आद्याक्षरों



से उनको हमेशा “पु.ल.” के नाम से पहचाना जाता है। वे शिक्षक, प्राध्यापक भी थे

एवं उन्होंने एकपात्री-बहुपात्री नाटक, सिनेमा, आकाशवाणी, दूरदर्शन ऐसे सभी क्षेत्रों में काम किया। उनकी किताबों का अनुवाद अंग्रेजी, कन्नड एवं अन्य भाषाओं में भी हुआ है। दूरदर्शन शुरू होने के पश्चात दूरदर्शन के प्रथम प्रसारण हेतु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका प्रथम साक्षात्कार इन्होंने लिया था। इनके नाम से वर्ष 2002 में डाक टिकट जारी किया गया एवं इन्हें पद्मश्री (1966) तथा पद्मभूषण

(1990) पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया।

उनका जन्म महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गावदेवी इलाके में 8 नवंबर 1919 को हुआ। उनका बचपन जोगेश्वरी के सारस्वत कॉलोनी में बिता। उनके नाना वामन मंगेश दुभाषी एक कवी एवं साहित्यप्रेमी थे। उन्होंने श्री रविंद्रनाथ टैगोर लिखित “गीतांजली” काव्यसंग्रह का “अभंग गीतांजली” इस नाम से मराठी में अनुवाद किया था। वे उत्तम संवादिनी वादक भी थे। इस तरह पु.ल.के घर में वाचन एवं संगीत का वातावरण था। उनके घर संगीत की बैठके (महफिल) होती थी। वे वर्ष 1946 में सुनीता ठाकूर से विवाहबद्ध हुए। वे भी साहित्यकार एवं विदुषी थी।

पु.ल.देशपांडे ने ‘आकाशवाणी (All India Radio) में भी नोकरी की। आकाशवाणी के लिए इन्होंने बहुत सी श्रुतिकाएँ एवं भाषण लिखे। आकाशवाणी पर प्रमुख नाट्यनिर्माता के रूप में कार्य किया। वहाँ उनकी पत्नी सुनिता जी के साथ ‘गडकरी दर्शन’ नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसी कार्यक्रम से ‘बटाट्याची चाळ’ इस कार्यक्रम का जन्म हुआ और वह अभूतपूर्व रूप से सफल हुआ। इसे पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया गया जो कि मराठी की प्रसिद्ध किताबों में से एक है।

उन्हें साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी यह दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए। उसके साथ ही पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण एवं पद्मभूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 12 जून 2000 को पुणे में उनका देहावसान हुआ।

प्रमुख रचनाएं – असामि असामी, अपुवाई, अघळ पघळ, उरलं सुरलं, एक शुन्य मी, एका कोळीयाने, कोट्याधीश पु.ल., खिल्ली, खोगीरभरती, गणगोत, गुण गाईन आवडी, गोळाबेरीज, बटाट्याची चाळ, गाठोड, नस्ती उठाठेव, हसवणूक एवं व्यक्ती आणि वल्ली आदि है। “व्यक्ती आणि वल्ली” हेतु

उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मराठी साहित्य में इनके अमूल्य योगदान के लिए हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे।

श्री मुंशी प्रेमचंद



श्री मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले के “लमही” गाँव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायबराय था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने का बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नोकरी छोड़ने के आवाहन पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को त्यागपत्र दिया एवं इसके बाद उन्होंने स्वयं को लेखन के प्रति समर्पित कर दिया।

मुंशी प्रेमचंद हिंदी एवं उर्दु के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दु में लिखते थे। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह ‘सोज़े-वतन’ प्रकाशित हुआ जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया एवं इसकी सभी प्रतियाँ जब्त कर ली। साथ ही इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उन्होंने सेवासदन, प्रेमाश्रय,

रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 18 उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी आदि तीन सौ से अधिक कहानियाँ लिखी। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दु एवं हिंदी पत्रिकाओं जमना, सरस्वती, माधुरी आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन एवं प्रकाशन भी किया।

1906 से 1936 के बीच उनके द्वारा लिखा गया साहित्य इन तीस वर्षों का सामाजिक व सांस्कृतिक दस्तावेज है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को “प्रेमचंद युग” कहा जाता है। रंगभूमि उपन्यास के लिए उन्हें **मंगलप्रसाद** पारितोषिक भी मिला। उन्होंने 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कथा लेखक की नोकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म ‘**मजदूर**’ की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। 1936 तक प्रेमचंद प्रतिवर्ष लगभग दस या अधिक कहानी लिखते रहे। उपन्यास एवं कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय, पत्र के रूप में भी उनका विपुल मात्रा में लेखन उपलब्ध है। 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर रोग से उनका देहावसान हुआ। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ 8 खंडों में “**मानसरोवर**” के नाम से प्रकाशित हुई।

मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई, 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। इसके बरामदे में एक भित्तिलेख है। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है। जहाँ उनकी एक वक्षप्रतिमा भी है।

प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने “प्रेमचंद घर” में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है, जिससे लोग अनभिज्ञ थे। उनके ही बेटे अमृत राय ने “कलम का सिपाही” नाम से पिता की जीवनी लिखी है। उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू अनुवाद तो हुए ही हैं, चीनी, रूसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियाँ लोकप्रिय हुई हैं।

ऐसे महान हिंदी साहित्यकार को शतशः नमन।

श्री रस्किन बॉण्ड

भारतीय अंग्रेजी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले श्री रस्किन बॉण्ड मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं। मेरे पीएच.डी. के अध्ययन के दौरान इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का अवसर प्राप्त हुआ।

"The Portrayal of Children in the short-Stories of Ruskin Bond: A Critical Study" इस विषय पर संशोधन करते हुए उनके साहित्य से मेरा गहन परिचय हुआ।

सर्वप्रथम उनके व्यक्तिगत जीवन का संक्षिप्त परिचय देती हूँ क्योंकि उनकी अधिकतर लघुकथाएँ आत्मकथा पर आधारित हैं। उनका जन्म हिमाचल



प्रदेश के कसौली में 19 मई 1934 को हुआ। उनके पिताजी ऑब्रे अलेक्झांडर बॉण्ड ब्रिटिश

थे जिनका जन्म उत्तर भारत के शाहजानपुर में मिलिटरी कैंप में हुआ था। उनकी माता एडिथ क्लार्क एंग्लो-इंडियन थी। उनके पिताजी ने उनका नाम सुप्रसिद्ध

अंग्रेजी साहित्यकार एवं तत्ववेत्ता 'John Ruskin' के नाम पर रखा एवं रस्किन बॉण्ड ने इसे सार्थक सिद्ध किया। उनके पिताजी जामनगर राजमहल की राजकन्या को अंग्रेजी पढ़ाते थे। रस्किन बॉण्ड एवं उनकी बहन एलेन वहा रहे। रस्किन बॉण्ड जब छह साल के थे तब उनके पिताजी ने “रॉयल एअर फोर्स” में कार्यग्रहण किया। रस्किन बॉण्ड अपनी माता और बहन के साथ देहरादून में अपने मामा के घर रहे। तत्पश्चात वे मसुरी के बोर्डिंग स्कूल में गए। आठ वर्ष की आयु में उनकी माता और पिताजी का विवाह-विच्छेद हुआ। इनके पिताजी उन्हें नई दिल्ली लेकर आए जहाँ वे कार्यरत थे। वे अपने पिताजी के बहुत करीब थे एवं अपने पिताजी के साथ व्यक्तित्व समय को (1942-1926) अपने जीवन का “सुवर्ण काल” मानते हैं। दस वर्ष की आयु में उनके पिताजी का मलेरिया से देहांत हुआ। उस समय वे कोलकाता में कार्यरत थे और रस्किन बॉण्ड शिमला के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। इस कारण उनका बचपन बहुत दुखद बिता। आगे वे देहरादून में रहें।

अपनी किताब "My Trees Still Grow in Dehra" में देहरादून की यादों एवं निसर्ग का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने 16 साल की उम्र में "Untouchable" नाम से पहली लघुकथा लिखी। हायस्कूल शिक्षा के पश्चात 1951 में दो वर्ष के लिए Channel Islands में अपनी मौसी के घर गए। लंदन में उन्होंने अपना पहला उपन्यास "The Room on the Roof" 17 साल की आयु में लिखा। इसके लिए उन्हें John Llewellyn Rhys Prize प्राप्त हुआ जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ द्वारा 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों को दिया जाता है। अपने उपन्यास के लिए प्रकाशक की खोज करते हुए उन्होंने लंदन के एक फोटो स्टुडियो में काम किया। उपन्यास हेतु प्रकाशक मिलने के बाद अग्रिम में (Advance) पैसे लेकर वे समुद्री समुद्री मार्ग से मुंबई आकर देहरादून में

रहने लगे। इससे ज्ञात होता है कि वे भारत लौटने के लिए कितने लालायित थे। वे हमेशा स्वयं को भारतीय मानते हैं।

इसके बाद समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए कविताएं एवं लघुकथाएं लिखते रहें एवं मसूरी में हमेशा के लिए स्थायी हुए। पेंग्विन प्रकाशन ने उनकी सभी रचनाएँ प्रकाशित की।

साहित्यिक जीवन – इनकी बहुतांश रचनाएँ हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन में उनके द्वारा बचपन में बिताए गए जीवन से प्रभावित हैं। पर्वतीय निसर्गरम्य वातावरण में बिताए जीवन की यादें हमेशा उनकी रचनाओं में झलकती हैं। The Room on the Roof उनके देहरादून में प्राप्त अनुभवों पर आधारित था। वहाँ वे अपने मित्र के साथ एक छोटे किराये के कमरे में रहते थे। उनकी पहली बालकथा Angry River जो Sita and the River के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसे प्रकाशक के अनुरोध पर बालकथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। बच्चों के लिए उनके लेखन के बारे में पूछने पर वे कहते हैं "I had a pretty lonely Childhood and it helps me to understand a child better"। उनके आत्मचरित्रात्मक पुस्तक Rain in the Mountain में मसूरी में उनके जीवन अनुभवों का वर्णन है। 50 साल से अधिक काल के लिए साहित्य सृजन करते हुए बॉण्ड ने हमेशा विभिन्न विधाओं में लेखन किया। उन्होंने 500 से अधिक लघुकथाएं, निबंध एवं उपन्यास लिखे हैं जिसमें से 69 पुस्तकें बच्चों के लिए लिखी हैं।

उनकी कई रचनाओं पर फिल्में बनी हैं। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म “जूनून” इनके उपन्यास A flight of pigeons पर आधारित है जिसे श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया एवं “The Blue Umbrella” नामक विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म जो वर्ष 2005 में

प्रदर्शित हुई वह “The Blue Umbrella” उपन्यास पर आधारित थी एवं इस फिल्म को बच्चों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में “राष्ट्रीय पुरस्कार” प्राप्त हुआ। विशाल भारद्वाज द्वारा ही निर्देशित फिल्म “7 खून माफ” जो 2011 में प्रदर्शित हुई वह बॉण्ड की लघुकथा Susanna's Seven Husbands पर आधारित है। उनके द्वारा लिखित Ghost Stories पर आधारित वेब सीरिज ‘परछाई’ भी Zee5 पर प्रदर्शित हुई।



पुरस्कार – "Our Trees Still Grow in Dehra" के लिए उन्हें वर्ष 1992 में ‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में ‘पद्मश्री’ एवं वर्ष 2014 में ‘पद्मभूषण पुरस्कार’ प्रदान किया गया। वर्ष 2024 में ‘साहित्य अकादमी फेलोशिप’ से सम्मानित किया गया। यह साहित्य संघटनों द्वारा दिया जानेवाला सर्वोच्च सम्मान है।

इस प्रकार रस्किन बॉण्ड का भारतीय अंग्रेजी साहित्य एवं विशेषकर बाल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी भाषा की सरलता, निसर्ग चित्रण – एवं आत्मचरित्रात्मक लेखन मन को प्रभावित एवं आनंदित करते हैं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए हम सदैव कृतज्ञ हैं।

(स्रोत – गुगल, विकिपीडिया एवं उक्त लेखकों के साहित्य तथा प्रकाशित साक्षात्कार)





श्री यशवंत खापरे

सहायक पर्यवेक्षक

एक गाँव में किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, उसने धनवान बनने के लिए काफी प्रयत्न किए किंतु हर बार असफल रहा। एक दिन किसान अपने खेत से उदास लौट रहा था, तभी रास्ते में एक साँप को फन फैलाए बैठा देखा, साँप को देखकर वह सोचने लगा कि यह साँप हमारे कुल का कोई देवता है। शायद यह हमारे लिए कुछ मदद कर सकता है। यदि यह साँप मुझसे प्रसन्न हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा सोचकर किसान उस साँप के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, साँप वैसे ही फन फैलाए बैठा रहा।

किसान प्रार्थना करने के बाद घर गया और घर से एक कटोरे में दूध भरकर ले आया। दूध साँप के आगे रखकर किसान घर लौट आया। दूसरे दिन किसान अपने खेत पर लौटा तो देखा कि उस दूध के खाली कटोरे में एक मोहर पड़ी है। मोहर देखकर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने चारों ओर देखा पर साँप कहीं नजर नहीं आया।

किसान के मन में आया कि सचमुच यह कोई देवता है। मुझे इसकी प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने यह निश्चय किया कि वह रोज कटोरे में दूध भरकर साँप के स्थान पर रख आया करेगा। किसान रोज साँप के बिल के द्वार पर दूध का कटोरा रख जाता, साँप दूध पी लेता और दूध पीकर एक मोहर डाल देता। इस तरह प्रतिदिन एक मोहर मिलने से वह किसान निर्धन से धनवान बनने लगा।

एक दिन किसान को जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा उसने बाहर जाते समय अपने लड़के से कहा

कि वह साँप को रोज नियमित रूपसे दूध पहुँचा दिया करे। लड़के ने ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन निश्चित समय पर दूध का कटोरा साँप के बिल के पास रख दिया करता था। और मोहर उठा ले आता। एक दिन किसान के बेटे के मन में लालच की आशा जगी और उसने सोचा की साँप के बिल में कोई खजाना तो नहीं, साँप के दूध पीने के बाद साँप के बिल को क्यों न तोड़कर सारा खजाना एक साथ ही ले आऊँ, रोज रोज दूध पिलाने की झंझट से बच जाऊँ। ऐसा सोचकर लड़के ने साँप के बिल को तोड़ना शुरू कर दिया। साँप घबराकर बाहर निकला, लड़के ने साँप को मारना चाहा लेकिन साँप अपनी जान बचाकर भागने लगा किंतु बेटे ने फिर से उसका पिछा करके मारने की कोशिश की लेकिन इस बार साँप ने पलटकर लड़के को काट लिया, साँप के काटने से लड़के की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। लड़के के घरवालों ने लड़का अभी तक क्यों नहीं लौटा देखकर उस स्थान पर जा कर देखा तो लड़का मरा हुआ पड़ा था, कुछ देर बाद किसान को अपने पुत्र के मरने की खबर मिलते ही तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने गाँव आकर साँप के बिल के पास आया।

किसान साँप को देखकर उसके सामने नतमस्तक हो गया और बोला यह क्या हो गया? उसपर साँप बोला - “अरे भाई, जो दूसरों को नुकसान पहुँचाकर अपना फायदा करना चाहते हैं, उनका यही हाल होता है, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसको सदा अच्छा ही फल मिलता है।” यह सुनकर किसान मायूस होकर अपने घर लौट जाता है।

मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है की वह कोई भी चीज जड़ से पाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच का फल हमेशा बुरा होता है।



साधना - प्रयोजन और परिणाम



श्रीमती कविता चौरीया

लेखापाल

साधना का उद्देश्य किसी के सामने गिड़गिड़ाना झोली पसारना या नाक रगड़ना नहीं होता है। दीनता न आत्मा को शोभनीय है और न परमात्मा को प्रिय। परमात्मा न खुशामद, आडंबर, दिखावे का भूखा है और न ही उन्हें प्रशंसा की आवश्यकता है। उनकी महानता अपने आप में अपनी प्रशंसा है। मनुष्यों की वाणी न उसमें कुछ वृद्धि कर सकती है और न कमी अपने ही बालक के मुख से प्रशंसा करना किसी मनुष्य को भी अच्छा नहीं लगता फिर परमात्मा जैसे महान के लिये तो उसमें क्या आकर्षण हो सकता है। माँगना बुरा व्यवसाय है, चोरों से भी बुरा। चोर दुस्साहस करता है और खतरा मोल लेता है। तब कही कुछ पाता है। भिखारी उतना भी तो नहीं करता। कर्म विज्ञान को एक प्रकार से वह झुठलाना ही चाहता है। वह बिना करे ही पाना चाहता है। संसार के स्वाभिमानी, अपंग और असमर्थ भी स्वाभिमानी होते, कोढ़ी और अंधे भी कुछ कर लेते हैं। समाज उन्हें कर्तृत्व के साधन तो देता है पर मुफ्त में बैठकर नहीं खिलाता। इसमें देनेवाले की उदारता भले ही हो, पर लेनेवाले को कर्ज के मार से दबना होता है और दीन हीन बनकर समग्र स्वाभिमान का हनन करना पड़ता है। यह हानि उन लाभों से बुरी है जो किसी दान से कुछ प्राप्त करके उपलब्ध किया जाता है। साधना निश्चित रूप से याचना नहीं है। वह विशुद्ध रूप से आत्म परिष्कार जीवन शोधन और पात्रता के विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है।

तपश्चर्या की आग में हम अपने कलुषित मन,

दृष्ट प्रवृत्ती से छुटकारा पाने की वही चेष्टा करते हैं। कर्मफल अपने हाथ में नहीं है। तीर छोड़ने से पहले अपने हाथ में था, छूट गया तो अपना कार्य करेगा। कर्मफल की व्यवस्था सृष्टी का कठोर और अपरिवर्तनीय नियम है। उसे यदि ईश्वर बदलने लगे तो फिर उसे अपनी सारी क्रम व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। सच्चा न्यायाधीश अपने बेटे को भी अपराध का दंड देकर न्याय की रक्षा करता है। ईश्वर के न्यायालय में भक्त-अभक्त का अंतर नहीं। भक्ति के दुसरे परिणाम हो सकते हैं पर उसका प्रयोजन यह नहीं है कि उस न्यायशील परमेश्वर को अन्याय या पक्षपात करने के लिये विवश किया जाये।

भक्ति हमें भविष्य में दुष्कर्म न करने की प्रेरणा देती है। अपने स्वभाव में घिरे हुए अविवेक और अत्याचार, अनाचार उन्मूलन में सहायता करते हैं। निष्पाप और निर्मल बनकर हम प्रारब्ध कर्मों को भी धैर्य और शांतिपूर्वक साहस और संतोष के साथ सहन कर सकने में समर्थ हो सकते हैं और इस प्रकार प्रारब्ध भोग की आधी व्यथा हल्की कर सकते हैं। दुष्कर्मों और कुविचारों को तिलांजली देकर अपना भविष्य तो उज्ज्वल कर ही सकते हैं। साधना का यह लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। संचित कर्मों के छुटकारे का एक ही सनातन मार्ग और विधान है, प्रायश्चित। पिछली भूलों और कर्मों पर खेद प्रकट कर देने या क्षमा मांग लेने की औपचारिकता पूरी करने से काम नहीं चलता। समाज को जितनी क्षति पहुँचाई है उतना अनुदान देकर उस गड़ढे को पाटना पड़ेगा। मन को कुकर्म के द्वारा जितना कलुषित किया है उतना ही सत्कर्म के उल्लास से उसका

संतुलन बनाना पड़ेगा। उसका समाधान पुण्य और परमार्थ की प्रक्रिया अपनाकर करना होगा। इतना साहस अंत में उदय होता है और वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए न्याय के कटघरे में खड़े होने से पूर्व स्वयं ही उपस्थित होकर अपनी भूल स्वीकारने ओर उसकी पूर्ति करने की बहादुरी दिखाता है। साधना की प्रक्रिया साधक को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने का शौर्य और भविष्य में निर्मल जीवन जीने का साहस प्रदान करती है।

साधना यदि सच्ची हो तो उसके फल साधक को तुरंत प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में ही ईश्वर और जीव का वियोग है। अज्ञान के अंधकार का परदा जितना चौड़ा है उतनी ही दूर परमेश्वर है। भगवान का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये सिर्फ छोटी मंजिल पार करनी पड़ती है। और वह ही आत्मकल्याण के पथ पर कदम बढ़ाते हैं उससे ईश्वर की समीपता हो जाती है।



आधुनिक कुटुंब व्यवस्था की आचार संहिता



श्री वीरेंद्र देवघरे
सेवानिवृत्त अधिकारी

कुटुंब व्यवस्था भारतीय संस्कृति की रीढ़ है इसलिए भारतीय संस्कृति की समृद्धि कुटुंब व्यवस्था की मजबूती पर निर्भर करती है। भारतीय कुटुंब व्यवस्था विवाह संस्था पर आधारित है और धर्म के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों से बंधी है। कुटुंब व्यवस्था भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों, आचार विचारों और प्रथा परंपराओं के नींव पर खड़ी है। कुटुंब व्यवस्था के संस्कार, मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा के कारण ही भारतीय संस्कृति दस हजार वर्षों से कायम है। लेकिन आज आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था उद्धवस्त हो रही हैं। इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 मई को 'विश्व कुटुंब दिवस' मनाता है। कुटुंब व्यवस्था के विघटन का व्यापक विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि

आधुनिक युग की औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व की सभी संस्कृतियों की जीवनशैली में आमूलचूल परिवर्तन आया।

आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था भी पश्चिमी देशों की तरह बिखरती जा रही है। कुटुंब में मतभेद, कलह और विघटन के कारण कुटुंब व्यवस्था चरमरा गई है। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार और शोषण में भारी वृद्धि हुई है जिससे कुटुंब व्यवस्था की नींव कमजोर हो गई है। सामाजिक और नैतिक कर्तव्य पर नियमों का प्रभाव समाप्त हो रहा है। परिस्थिति के अनुसार नियम बनते और बदलते हैं इसलिए आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक नई आचार संहिता बनाने की नितांत आवश्यकता है।



आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था की आचार संहिता के नियम कुटुंब व्यवस्था के समस्याओं पर विचारकों द्वारा सुझाए गए कुछ समाधानों का संकलन है। आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था की आचार संहिता में कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की भूमिकाओं, कर्तव्यों और अधिकारों के नियम निर्धारित करना चाहिए। आधुनिक भारत के संयुक्त कुटुंब व्यवस्था में कुटुंब प्रमुख और उसके माता-पिता, पत्नि, बच्चों और पोतों का समावेश होता है। कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए कुटुंब प्रमुख की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुटुंब प्रमुख ने अपने माता-पिता की सेवा करने का कर्तव्य करना चाहिए।

आधुनिक युग में कुटुंब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तब बच्चों को संभालने का काम माता पिता करते हैं। संयुक्त कुटुंब व्यवस्था में बच्चों को पालनाघर और बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता नहीं होती। कुटुंब प्रमुख ने स्त्रियों को समान अधिकार देने चाहिए, बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा स्वास्थ्य और अनुशासन की व्यवस्था करनी चाहिए उसी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और

नीजता की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। कुटुंब व्यवस्था को मजबूत, सशक्त और स्थिर बनाने के लिए सदस्यों में प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था की आचार संहिता के महत्वपूर्ण नियम कुटुंब प्रमुख के आधी उम्र होने के कालखंड से संबंधित होते हैं। कुटुंब प्रमुख को बच्चों के बड़े होकर नौकरी लगने और बाद में उनकी शादी होने तक जिम्मेदारी उठाना चाहिए। अपने बुढ़ापे के खर्चों के लिए कुछ संपत्ति बचाकर शेष राशि से अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए और अचल संपत्ति के लिए वसीयत बनानी चाहिए। उनको अपने पोतों की देखभाल, संस्कार एवं नैतिक शिक्षा का काम करना चाहिए। कुटुंब में सास-बहू का विवाद समाप्त करने के लिए बहुओं को लडकी के समान मानना चाहिए। यदि एक ही छत के नीचे रहने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण परिवार में विवाद, कलह और मनमुटाव पैदा होता हो तो विवाह के बाद बच्चों को अलग कर देना चाहिए। जहां तक हो सके अलग रहना चाहिए और बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुटुंब में एकता, प्रेम और अपनापन बनाये रखने के लिए कुटुंब प्रमुख ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। कुटुंब व्यवस्था की कोई पर्याय व्यवस्था नहीं है इसलिए कुटुंब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्राचीन और आधुनिक कुटुंब व्यवस्थाओं का सुवर्ण मध्य साधकर एक नई आचार संहिता बनाना समय की मांग है। आधुनिक भारतीय कुटुंब व्यवस्था की आचार संहिता से कुटुंब व्यवस्था मजबूत होगी फलस्वरूप भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष होगा।



“सफ़र-ए-गोवा और सुधा राणा”



श्री सलीम एम. शेख

वरिष्ठ लेखापाल

संस्मरण

गोवा के बारे में और उसकी पुरातन धरोहर के साथ सुंदरता के बारे में कई बार सुन रखा था परंतु प्रत्यक्ष वहा जाने का और गोवा की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वर्ष 2009 विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान द्वारा पांच दिन का गोवा महोत्सव मनाने का और गोवा की समृद्ध संस्कृति, साहित्य से जुड़ने का अवसर जरूर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री जी के साथ वहां के संस्कृति मंत्री भी नागपुर आये साथ बड़े-बड़े साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र की जानीमानी हस्तियों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ। विविध कार्यक्रमों का आयोजन बहुत बड़े स्तर पर हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई, जिसमे गोवा की लोककला, संगीत एवं प्रसिद्ध नाटक “घासीराम कोतवाल” की प्रस्तुती रहीं। उपरोक्त सभी आयोजन को बेहतरीन ढंग से आयोजित करने हेतु गोवा के अतिथियों ने मेरा विशेष सम्मान भी किया।

इस आयोजन के दौरान कई बड़ी हस्तियों से अच्छी जान पहचान भी हुई जिसमे गोवा के प्रख्यात कवी विष्णु सूर्या वाघ जो उस वक्त गोवा के विधायक भी थे। हाल ही में उनका लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ। विष्णु जी के साथ एक और बड़ी हस्ती जिनसे मेरी पहचान हुई वो हैं, श्रीमती सुधा राणा जिनका नागपुर के मोहन नगर में भी घर था। श्रीमती राणा जी के गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य मार्ग ‘पेंडने गाँव’ में दो

बड़े प्रशस्त मकान हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको जानती हूँ और पिछले कई वर्षों से आपके द्वारा आयोजित रफी साहब एवं जयंती के कार्यक्रमों को मैं देखने आती हूँ। उस वक्त से राणा मैडम से अच्छी जान पहचान हो गई और वे अक्सर कहती – सलीम, आप एक बार जरूर गोवा मेरे घर आओ मैं तुम्हे पूरा गोवा घुमाऊंगी। और देखिये वो वक्त आ ही गया कि मुझे अचानक गोवा जाना पडा दरअसल हुआ ऐसे था कि मैं मुंबई मेरे एक मित्र जनाब अबरार खान इनके यहाँ गया था और वो एक हिंदी फिल्म का निर्माण कर रहे थे फिल्म के निर्माता ने उनसे कहा था की गोवा चलते हैं वहां लोकेशन देख फिल्म निर्माण फायनल करते हैं। जुबान से निकला और उसी रात हम मुंबई दादर से बस से गोवा के लिए रवाना हो गए। निकलने से पहले मैंने राणा मैडम को गोवा आने की सूचना दी। दूसरे दिन सुबह हम करीब 8 बजे गोवा पहुचे राणा मैडम ने हमें पहले ही बताया था कि बस चालक को बताना कहाँ हमें उतरना हैं बस चालक ने हमें सही जगह उतारा वो स्थानक ‘पेंडने गाँव’ में बिलकुल राणा मैडम के घर के सामने ही था और राणा मैडम हमारा सड़क पर ही इंतज़ार कर रही थी। सुबह फ्रेश होने के बाद चाय नास्ता कर हम राणा मैडम के कार में ही लोकेशन देखने चले गए गोवा शहर देखने से पहले राणा मैडम ने हमें पहले गोवा के ग्रामीण भाग के दर्शन कराये गोवा जाने वाले सैलानी भी शायद गोवा ग्रामीण का ये अद्भुत दर्शन शायद ही कर पाते होंगे जिसका अनुभव हमने किया। मंदीर, चर्च, घना जंगल वहा बसे लोग और उनकी दिनचर्या सभी का अनुभव हमने प्राप्त किया। तीन दिन हम गोवा रहें और संपूर्ण

गोवा के दर्शन किए। अबरार साहब ने अपनी फ़िल्म के लिए लोकेशन भी तय कर लिए।

गोवा की यह पहली ही यात्रा मेरे लिए बड़ी सुखद रही परंतु परिवार साथ होना चाहिए था, यह कमी भी खली। लेकिन फिर अगले ही साल हम पुणे मेरी साली साहेबा के यहाँ गए एक दिन वहाँ रुकने के बाद राणा मैडम को फोन किया कि हम पूना आये हैं, तब उन्होंने कहाँ परिवार को लेकर गोवा आ जाओ मैं गोवा में ही हूँ, बच्चों को भी गोवा घूमने का मौका मिल जाएगा। मैंने पत्नी से पूछा तो वो भी शीघ्र जाने के लिए तैयार हो गई उसी रात मैं अपने परिवार के साथ बस से गोवा के लिए रवाना हो गया। सुबह उसी स्थान पर बस वाहक ने रोकी जहाँ पिछले सफ़र में रुकी थी इस बार भी राणा मैडम हमारे स्वागत के लिए सड़क पर ही खड़ी थी। बड़ी ही आत्मीयता से उन्होंने हमारा स्वागत किया सुबह स्नान, नाश्ता चाय के बाद राणा मैडम हमें उनके गाँव से लगभग 25 किलो मीटर की दूरी पर एक गाँव ले गई जहाँ के प्रसिद्ध होटल में हमें “मालवणी” खाना खिलाया गाँव के लोगो से मिलाया और गाँव वालों से मेरे संदर्भ में कहाँ ये बहुत बड़े कलाकार हैं रफ़ी साहब के बड़े शैदाई हैं। फिर गाँव के कुछ लोगो ने मुझे गीत सुनाने को कहाँ तो मैंने उन्हें रफ़ी साहब के तीन चार गीत सुनाये। गीत सुनने बाद उन लोगो ने अपने पारंपारिक पद्धती से हमारा सत्कार कर रवाना किया। वापस राणा मैडम के यहाँ आने के बाद हमने आराम किया और मैडम ने कहाँ रात को हम खाना खाने होटल चलेंगे। रात में तैयारी कर हम उनके घर से मुख्य सड़क पर स्थित उनके एक करीबी रिश्तेदार के भव्य होटल गए वहाँ उन्होंने नियमित खाने के साथ एक बड़ा सा ज़िंदा समुद्री केकड़ा दिखाया और कहाँ इसे भी बनवा देते हैं। मुझे खाने में नए जगह की नई चीज़े खाने का शौक भी है तो हमने अपनी हामी भरी खाने का ये नया अनुभव भी कुछ

अलग ही था। रात में वापसी पर दूसरे दिन का नियोजन राणा मैडम ने बताया सुबह उनके यहाँ काम करनेवाली जिसे बड़ी ताई कहते हैं, उन्होंने अपने घर हमें खाने पर बुलाया था। वह सड़क के उस पार जो राणा मैडम का ही घर था जिसे राणा मैडम ने उन्हें रहने के लिए दिया था, वहाँ रहती थी। वह मकान पूरी तरह गाँव की शैली वाला काले कवेलू की छत से बना था। बड़ा सा आंगन उसमे काजू, आम और नारियल के पेड़ थे। दरसल वह राणा मैडम का खेत ही था उससे आगे उनके खेत से लगकर बड़ी सी नदी भी थी। सुबह का भोजन बड़ी ताई ने बड़े प्यार से परोसा उसमे गोभी, भिंडी की सब्जी अलग-अलग तरह की चटनियां सोल कढ़ी और फिश वाहं मजा आ गया। भोजन के बाद हम पहले ग्रामीण गोवा घूमने निकले दोबार उसी ग्रामीण गोवा को देखकर मुझे तो आनंद आया ही मेरे परिवार को भी बड़ा मजा आया। शाम तक हम ग्रामीण क्षेत्र ही घूमते रहें, शाम को वापसी में राणा मैडम ने ताज़ी ताज़ी पोप्लेट मछली ख़रीदी थोड़ी ताज़ी भाजी और हम घर वापस लौटे राणा मैडम ने रात का खाना खुद बनाया। हां, थोड़ी मदत, सलमा, मेरी पत्नी ने भी उन्हें की, रात का खाना खाने के बाद, रफ़ी साहब के जीवनी तथा गीत संगीत पर ढेर सारी बातें हुई और अगले दिन के घूमने का नियोजन किया। दूसरे दिन सुबह नाश्ता कर राणा मैडम ने फिर से ग्रामीण गोवा से शहर तक का सफ़र करवाया कई चर्च, मंगेशी मंदीर, उद्यान और लता मंगेशकर के नाम से बने मंगेशकर सभागृह के दर्शन करवाए। समंदर के किनारे बने इस सभागृह से लगकर सुन्दर उद्यान भी हैं जहाँ से ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच से नदी निकलकर सीधे समुंदर से मिलती हैं ये सुन्दर दृश्य देख स्वर्गसा आनंद आ गया। दोपहर हो चुकी थी लता मंगेशकर सभागृह में कैटीन की व्यवस्था है, वही हमने दोपहर का भोजन किया और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। वैगैटर बीच, मीरा

मार बिच, डोना पॉल बिच, महलासा टेंपल उसके बाद “बेसिलिका ऑफ़ बॉम जिसस चर्च” जहां सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का शरीर पिछले 450 वर्षों से रखा हैं। उस चर्च के दर्शन के बाद रात का खाना खाने हम राणा मैडम के पहचान वाले सर अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके क्रूज पर गए वहां क्रूज के मालिक से मेरा परिचय कराते हुए राणा मैडम ने कहाँ सलीम भाई भी अच्छा गाते हैं, पहले से उस क्रूज पर वहां के स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुती दे ही रहें थे कि मुझे से भी एक दो गीत प्रस्तुत करने की फ़रमाइश कर दी गई उनकी फ़रमाइश का मान रखते हुए मैंने दो गीत प्रस्तुत कर दिए। उपस्थित सभी ने मेरे प्रस्तुती की जमकर प्रशंसा की, वहां रात का खाना खाकर हम वापस राणा मैडम के गाँव पेंडने पहुंचे।

अगले दिन शाम की बस से वापस पुणे आना था और राणा मैडम के यहाँ सुबह फ़िल्म दृश्यम में सब इन्स्पेक्टर का रोल करनेवाले श्री कमलेश सावंत आ रहें थे। सुबह करीब 8 बजे वो अपने परिवार के साथ राणा मैडम के यहाँ पहुंचे आप सभी को बता दूँ कि राणा मैडम इतनी जिंदादिल हस्ती थी के हर किसी से जल्दी घुल मिल जाती थी। और इसी कारण मराठी के कई बड़े कलाकार जैसे कि भारत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, मकरंद अनासपुरे, अशोक सराफ, दिपाली सय्यद इ. सभी उनके यहाँ आया करते। श्री कमलेश सावंत जी से राणा मैडम ने मेरा परिचय कराया काफ़ी बातचीत हुई



और सावंत जी को पणजी निकलना था तभी राणा मैडम के भाई और गोवा के प्रसिद्ध कवी श्री विष्णु सूर्या वाघ जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया फिर हम वापसी की तैयारी के साथ कमलेश सावंत जी को लेकर पणजी एक होटल में छोड़ विष्णु वाघ सर के यहाँ पहुँचे। बड़ी ही आत्मीयता से उन्होंने हमारा स्वागत किया कुछ मुझसे सुना और कुछ अपनी कविताओं से लाभान्वित किया उन्होंने उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबे भी मुझे अंगवस्त्र के साथ भेंट दी खाना खाकर हम पुणे वापसी के लिए लौट रहे थे, तो रास्ते के लिए खाना भी बाँध दिया और काजू के कई पैकेट भी दिए। राणा मैडम ने हमें बस स्थानक पर छोड़ा और हम पुणे वापस आ गए कुछ महीनो बाद जब ‘दृष्यम’ फ़िल्म आयी तब श्री कमलेश सावंत जी गोवा किस लिए आये यह पता चला, बड़ा सुन्दर अभिनय उन्होंने उस फ़िल्म में किया। पुणे से दूसरे दिन हम सफ़र ए गोवा की यादों को समेटे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस से नागपुर अपने शहर वापस लौटे।

अपने नियमित जीवन में वापस लौटने के बाद वर्ष 2022 अक्टूबर महीने में श्री सुदर्शन लोहकरे जी जो राणा मैडम के भाई हैं। उनके बड़े पुत्र श्री कुणाल लोहकरे जी का मुझे रात को फ़ोन आया कि राणा मैडम का दिल का दौरा पड़ने से उनके घर पर ही निधन हो गया। हम उनका अंतिम संस्कार कर आज ही गोवा से लौटे हैं। यह दुखद समाचार सुनकर मैं और मेरा परिवार दुखी हो गया। लगा जैसे हमसे संपूर्ण गोवा ही रूठ गया राणा मैडम में माँ की ममता, बहन का प्यार, दोस्तों से दोस्ती के लिए निछावर वाला स्वभाव उनके व्यक्तित्व को खास बनाता हैं। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं पर उनका व्यक्तित्व हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेगा।





श्री अनिल वैष्णव
सहायक लेखा अधिकारी

जिसने भी यह लिखा है, बेहतरीन लिखा है और जीवन में उतारने योग्य है। मैंने बस कुछ जगह थोड़ा -सा संपादन किया है।

मैं जितने साल जी चुका हूँ, उससे अब कम साल मुझे जीना है। यह समझ आने के बाद मुझमें यह परिवर्तन आया है :

1. किसी प्रियजन की विदाई पर अब मैं रोना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी भी आनेवाली है।
2. उसी प्रकार, अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है, तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, यह सोचना भी छोड़ दिया है क्योंकि मेरे जाने के बाद जीवन रुकेगा नहीं और मेरे बाद दुनिया का क्या होगा, इसपर सोचने-विचारने की ज़रूरत नहीं है।
3. सामने वाले व्यक्ति के पद, पैसे, पावर और प्रतिष्ठा से अब मैं प्रभावित नहीं होता हूँ।
4. खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूँ। जान लिया है, कि मैं हूँ तो जग है और मैं नहीं, तो जग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
5. छोटे व्यापारियों और फेरीवालों के साथ मोल-भाव करना बंद कर दिया है। जानता हूँ कि मैं कभी-कभी ठगा जा रहा हूँ, फिर भी हँसते-मुस्कुराते खरीदारी कर लेता हूँ।

6. कबाड़ उठाने वालों को, मेरे लिए व्यर्थ हो चुका सामान, वैसे ही दे देता हूँ। या पच्चीस-पचास रुपये ऐसे ही खर्च कर लेता हूँ उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखकर अच्छा लगता है।
7. सड़क पर व्यापार करने वालों से, फेरी वालों से कभी-कभी बेकार की चीज़ भी खरीद लेता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उन्हें पड़ सकता है।
8. बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात को कितनी ही बार सुन लेता हूँ। कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने यह बात कई बार कही है।
9. ग़लत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देता हूँ।
10. लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मज़ा लेता हूँ।
11. ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज़ से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया है। व्यक्तित्व और विचारों से ज़रूर प्रभावित होता हूँ।
12. मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कई लोग यह काम पहले ही करके असफल हो चुके हैं और मैं भी...

13. जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चालें खेलता है, तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देता हूँ। आखिरकार, ना तो मैं जीवन में जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा में हूँ और ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी है। फिर हार-जीत कैसी... ?
14. मैं वही करता हूँ, जो मुझे सही लगता है। लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी है। चार लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया है। हां, ज़बरन वो काम नहीं करता, जिससे किसी को दुःख पहुंचे।
15. फाइव स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करता हूँ। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी में संतोष पाता हूँ।
16. अपने ऊपर हजारों रुपये खर्च करने की बजाय, किसी जरूरतमंद के हाथ में पाँच सौ हजार रुपये देने का आनंद लेना सीख गया हूँ।
17. गलत के सामने सही साबित करने की बजाय, मौन रहना पसंद करने लगा हूँ। अगर मैं सही हूँ, तो उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा और ग़लत हूँ, तो मुझे खुद में सुधार करना चाहिए, मेरा बोलना तो बेमानी है।
18. मैं बस इस दुनिया का यात्री हूँ मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा, यह मैंने स्वीकार कर लिया है। वह प्रेम, आदर और मानवता ही, जो मैंने बाँटी है, वह भी यहीं रह जाएगी, एक विरासत की तरह।
19. मेरा शरीर मेरे माता-पिता का दिया हुआ है आत्मा परम कृपालु प्रकृति की देन है और नाम दूसरों का दिया हुआ है... जब मेरा अपना कुछ

भी नहीं है, तो लाभ-हानि की क्या गणना ?

20. अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयाँ या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता है, वह समझता ही नहीं।
21. अब अपने आनंद में ही मस्त रहता हूँ क्योंकि मेरे किसी भी सुख या दुःख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ शायद यही परिपक्वता की निशानी है।
22. हर पल को जीना सीख गया हूँ क्योंकि अब समझ गया हूँ कि जीवन बहुत ही अमूल्य है यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है कुछ भी कभी भी हो सकता है, यह वक्त भी गुज़र जाएगा।
23. आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूबना चाहता हूँ मुझे समझ आया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है।
24. जो प्राप्त है, वो ही पर्याप्त है। जो मिला है, वो मेरे प्रयत्न से अधिक है। शुक्राना के भाव को अंगीकार कर रहा हूँ।
25. प्रकृति की गोद में रहने लगा हूँ मुझे समझ आया है कि अंत में इसी की गोद में समा जाना है।

शायद मुझे जीना आ गया है

(संकलित)





श्री सुरज सु. ठाकरे

वरिष्ठ लेखापाल

समय हमारे जीवन का एक अनमोल पहलू है, जो हमसे निरंतर ध्यान की मांग करता है। हर एक पल हमें वापस नहीं मिलता और हमें इसे आखिरी सांस तक बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुख, आनंद और समृद्धि प्रदान करने की क्षमता समय में होती है। लेकिन यदि समय का सदुपयोग नहीं करे तो सुख, आनंद और समृद्धि हमसे छिन भी सकती है। समय जीवन का सबसे मूल्यवान पहलू है।

समय हमारे जीवन का अहम संसाधन है जो गुजर जाने के बाद वापस नहीं आ पाता है। समय का सही उपयोग करना एक कला है जो कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सहजता से सीखी जा सकती है। समय का प्रबंधन हमें संगठित और प्रभावशाली बनाता है। जिसमें हमें हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूक बनाता है। सकारात्मक दिशा की ओर अपने आप को अग्रसर करने में समय का बहुत बड़ा योगदान है।

समय का सदुपयोग करने के लिए हमारे जीवन के अवकाश के समय को उपयोगी कामों में बिता सकते हैं। बीते हुए कल में जो हमारे साथ गलत या दुःखद घटनाएँ हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं, उन सभी दुःखद घटनाओं को नया आया हुआ समय भुलाता जाता है। समय का सदुपयोग करने पर अपनी मेहनत और लगन से आप अपने आप में काफी बदलाव ला सकते हैं।

समय एक ऐसी अनमोल संपत्ति है जिसे कोई भी व्यक्ति संग्रहित नहीं कर सकता है। समय मूल्यवान है क्योंकि यह सीमित है। बहुत से लोग अपना समय ऐसी गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं जो शुरू में तो सुखद लगती हैं लेकिन उनका दीर्घावधि में कोई महत्व नहीं होता है।

नियत समय पर निर्धारित काम करने की आदत शरीर और मन का संतुलन बनाये रखती है और वे अपना काम ठीक तरह करते हैं। इसके विपरीत यदि अस्त-व्यस्त जीवनचर्या रखी जाए, किसी काम का कोई निर्धारित समय न रहे तो इसका प्रभाव शरीर एवं मन की स्वस्थता एवं प्रगति पर बहुत बुरा पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में तो समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करना सीख गया तो उसे सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है।



बेटी



श्री सैयद इकबाल अली

सेवा.नि. स.ले.ह

कौन कहता है कि, होती है कमजोर बेटी ।

बेटा है सेर तो होती है सवा-सेर बेटी ॥

घर में रहती है तो करती है घर को रोशन ।

घर से जाती है तो याद आती है अकसर बेटी ॥

खिल-खिला उठता है खुशियों से माँ-बाप का मन ।

आती है खुश-खुश जब ससुराल से घर बेटी ॥

बेटी ने हो तो मुकम्मल नहीं होता है घर ।

बेटा है रूह तो रूह का ज़ेवर बेटी ॥

माँ भी है, बहेन भी, साथी भी, दोस्त भी है ।

अनगिनत रूप मगर, हर रूप के अंदर बेटी ॥

नाज़ करते हैं हम “इकबाल” सिर्फ बेटों पर ।

हर बुरे वक्त में पर अब लेती है खबर बेटी ॥



आधुनिकता की ओर कुटीर उद्योग



श्री विष्णुांत उ. रामटेके

वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

भारत की अर्थव्यवस्था को प्रबल एवं सबल रूप देने में कुटीर उद्योग का अपना एक पृथक महत्व एवं योगदान है। आज जहाँ हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश होने की होड़ में दैनंदिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है वही इसके एक अंश के रूप में श्रेय कुटीर उद्योग को भी जाता है। समयानुसार जैसे-जैसे मानव संसाधन की आवश्यकताएं अपना बृहद रूप धारण कर रही है वैसे-वैसे कुटीर उद्योग का स्वरूप इस आधुनिक युग में व्यापक और विविधतापूर्ण होते जा रहा है।

भारतवर्ष में आदिम काल से ही कुटीर उद्योगों की महता रही है जिसका आधुनिक युग में प्रगतिशील स्वरूप कई उत्पादों/वस्तुओं के बौद्धिक चयन द्वारा देखा जा सकता है और इसी प्रगतिशील स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आज की युवा पीढ़ी कम समय, कम धन और अधिक कार्यकुशलता के आधार पर अधिक लाभार्जन कर बेरोजगारी से रोजगार प्राप्त करने के मार्ग पर प्रशस्त हो सकती है इसके लिए कुटीर उद्योग के स्वरूप, महत्व, औद्योगिक स्थिति, सटीक चयन, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, सरकारी उपक्रम/योजनाएं, विविधता और स्वयं कार्यकुशलता को जानना व समझना आवश्यक है।

हमारे देश में औद्योगिक क्रांति के पूर्व कुटीर और स्वदेशी उद्योगों का ही बोलबाला था। स्वदेश निर्मित वस्तुएं एवं विभिन्न उत्पाद जिनका निर्माण घर में ही परिवार के सभी सदस्य समान रूप से अपनी भागीदारी देकर निर्मित करते थे। जिसके लिए सीमित मात्रा में पूंजी, श्रम और अधिक कार्यकुशलता की आवश्यकता होती थी जिसकी आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी उस समय थी। इन घरेलु और कुटीर

उद्योगों के माध्यम से परंपरागत शिल्प का निर्माण कर स्थानीक संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर को भी बखूबी संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए स्वयंरूचि के आधार पर और परंपरागत रूप से इन लोक-कारीगरी को सीखकर ना कि पुर्नजीवित किया जा सकता बल्कि इससे भारतीय और अंतर-राष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित कर अधिक लाभार्जन भी प्राप्त किया जा सकता है इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु भी कुटीर उद्योग का चयन किया जा सकता है।



आज के वर्तमान आधुनिक युग में ऑनलाइन वस्तुएं, उत्पाद और सेवाएँ खरीदने और बेचने की होड़ सी लगी हुई है। इसमें “जो दिखता है वो बिकता है” की स्पर्धा बनी हुई है अर्थात् जिस प्रकार आप अपने उत्पाद/वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेंगे उसी प्रकार से ही बाजार में वस्तु की उतनी ही प्रचुर मात्रा में बिक्री होगी।



प्रत्येक खरीददार ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आज दूर-दराज के विक्रेताओं से सहजता से जुड़ता जा रहा है। जिसका लाभ कुटीर उद्योग को भी बहुतायत होता जा रहा है।

एक ओर कुछ कुटीर उद्योग परंपरागत उत्सवों, त्योहारों और मौसमी आधार पर किए जाते हैं जो कि अंशकालिक होते हैं किन्तु इनसे अधिक मात्रा में धन अर्जित किया जा सकता है। जैसे दीप निर्माण, पतंग-मांजा निर्माण, होली के लिए रंग निर्माण, क्रिसमस उत्पाद, लकड़ी के बैल, पटाखे आदि। दूसरी ओर कुछ उद्योग पूर्णकालिक स्वरूप के होते हैं जैसे नवीनतम रूप में बॉनसाई के पौधों का निर्माण, लकड़ी की विविध



कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन पर कलाकृतियाँ, बॉस के शिल्प, चीनी मिट्टी के गमले, हस्त-निर्मित आभूषण, लाख की चूड़ियाँ, पत्थर पर नक्काशी इत्यादि।

आधुनिकता की ओर पैर-पसारे हुए आज कुछ महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग दृष्टिगोचर हुए हैं जो दैनंदिन और वास्तविक मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास की ओर कदम बढ़ाकर लघु एवं तकनीकी रूप से बड़े उद्योगों का साथ देने में सहायक सिद्ध हुए हैं। बड़े उत्पादों के लिए छोटे-छोटे पुर्जों का निर्माण कर यह उद्योग अधिक लाभ अर्जित करने में और युवा पीढ़ी को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करने में काफी हद तक सफल साबित हुए हैं। जिसमें सरकार अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। छोटी-छोटी सरकारी योजनाएं एवं संसाधनों को जमीनी रूप से पूर्णता प्रयोग कर, इंटरनेट के माध्यम द्वारा आज की तकनीकी युवा पीढ़ी तक पहुँचाने में अपने कारगर उपाय सामने ला रही हैं। जिससे ग्रामीण दूर-दराज के इलाकों के कारीगरों को काफी मदद और सहायता प्राप्त हो रही है।

जिसमें कुछ उद्योग काफी अग्रणी हैं जैसे रेशम उद्योग: इस उद्योग को स्थापित करने से लेकर इसकी खरीदी-बिक्री की पूर्ण जानकारी सार्वजनिक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और इंटरनेट पर तो इससे

संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी भी काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस उद्योग को खेतिकर जमीन एक छोटे से टुकड़े पर स्थापित किया जा सकता है जिसपर रेशम के कीड़ों के लिए शीशम के ताजे पत्तों के साथ-साथ समयबद्धता के अनुसार सही तापमान की आवश्यकता होती है। रेशम के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने पर खरीदी-बिक्री की अनेकों संस्थाएं उद्योगकर्ता से सीधे संपर्क कर रेशम के कच्चेमाल को खरीद लेती हैं। इसी दिशा में आज बाजार में केसर की भी बड़ी मांग है जिस कारण केसर उद्योग प्रचलन में है अब इसके लिए खेती की आवश्यकता नहीं अपितु एक छोटे से कमरे में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है इसके लिए केवल वातानुकूलित तापमान को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जमीन के छोटे से टुकड़े पर मशरूम की खेती, ड्रैगन फल की खेती, केचुएँ की खेती इत्यादि काफी कम लागत व तकनीकी कार्यकुशलता के आधार पर कुटीर उद्योग स्थापित करने का जरिया साबित हो सकते हैं। जिसके लिए प्रशासन विविध उद्योगी संस्थानों के द्वारा लघु और दीर्घकालिक प्रकार के प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही हैं।

प्राचीन काल से आधुनिक युग तक अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए कुछ महत्वपूर्ण व जीवनाधार कुटीर उद्योग आज भी विद्यमान हैं जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभूतपूर्व अंग हैं जिसमें रेशम की बुनाई और कढ़ाई का कार्य अग्रणी है। इस उद्योग के साथ-साथ देश में लुप्त हो रही कढ़ाई-बुनाई की विविध प्रकार की प्रांतीय कारीगरी को भी विकसित किया जा सकता है। इन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “खादी और ग्रामद्योग आयोग” और “युवासाथी” जैसे उपक्रम जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए छोटे उद्योगों को मदद पहुंचा रहे हैं। इससे न केवल गाँव में निवास करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर पाने में सहायता प्राप्त होगी बल्कि गाँव से भारी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने वाले युवाओं को रोका जा सकता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और वहाँ के स्थानीय लोगो

को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। शहरों में कुटीर उद्योग का स्वरूप बदल जाता है जिस कारण यहाँ कुछ कुटीर उद्योग अपना एक पृथक स्थान बनाए हुए है जैसे चमड़ा उद्योग बड़े पैमाने के अलावा छोटे पैमाने पर भी किया जाता है चमड़े के नए-नए उत्पाद/वस्तुएं काफी प्रचलन में है जैसे बटुआ, जूते, बैग और कमर-पट्टा इत्यादि बहुत मंहगे दामों में खरीदे जाते हैं।

इसी प्रकार कुटीर के अनेक स्वरूप भी सामने आ रहे हैं जिसमें घर को आंतरिक रूप से सजाने-संवर्णने के लिए तरह-तरह की सजावटी वस्तुओं की आवश्यकता दैनंदिन बढ़ती जा रही है। इसमें विशेष रूप से बांस की बनी वस्तुएं जैसे मेज, टोकरीयाँ, कुर्सी, झुला और बांस के लैंप के साथ ही जुट से बनी कलात्मक वस्तुओं की बाजार में विशेष रूप से मांग है। इन वस्तुओं/उत्पादों को कम लागत मूल्य और केवल उत्कृष्ट कला कौशल के आधार पर बनाया जा सकता है। सजावटी वस्तुओं में चीनी मिट्टी के बर्तन की भी अहम भूमिका है जिसमें कलात्मक रंगों और कलाकृतियों का निर्माण कर बाजार में बड़े ही मंहगे दामों पर बेचा जाता है और इन वस्तुओं को खरीदने के लिए खरीददारों का ताता सा लगा रहता है।

सामान्य रूप से कुटीर उद्योग में छोटे बच्चों के खिलौने, कपड़ों पर कढ़ाई कार्य, घरेलु निर्मित डिटरजेंट, साबुन जिसमें चारकोल स्वनिर्मित साबुन की बड़ी मांग है। इसके साथ ही खुशबूदार अगरबत्ती बनाना, इत्र बनाना इत्यादि अनेकों पारंपरिक और सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जा रही वस्तुएं भी कुटीर उद्योग का एक बृहद स्वरूप है। ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में मिट्टी से बने पीने के पानी के घड़े, बर्तन और लोहार द्वारा निर्मित बर्तन के अलावा खेतिकर किसान को खेती में प्रयोग किए जानेवाले कई सामान्य उपकरणों को भी बनाया जाता है यह भी कुटीर उद्योग का एक स्वरूप ही है। जिससे जीवनयापन का एक साधन निर्माण हो जाता है। शहरी इलाकों के झुग्गी-झोपड़ियों में बसने वाले निवासी भी कई प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कर सड़क के सिग्नल पर या फुटपाथ पर अपनी वस्तुएं काफी कम दामों में बेचते हैं।

जिसका मुख्य कारक यह भी है कि इन वस्तुओं को बनाने के लिए बहुतायत में कच्चे माल के संसाधन उपलब्ध हैं। जिस कारण कम समय और कम पूंजी का निवेश कर अत्याधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। बृहद शहरी इलाकों में जहाँ केवल ऊँची-ऊँची मीनारे हैं वहाँ लोग घर पर ही छोटे-छोटे पौधों को अपने बरामदे में रखना पसंद करते हैं जिसमें बॉनसाई के छोटे कद के पौधे विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन पौधों को बनाने के लिए शहरों और महानगरों में प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं जहाँ इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर आसानी से इनका निर्माण कर सकता है। इस उद्योगों को घर की गृहणी या बेरोजगार युवा-युवती आसानी से कर सकते हैं। इसमें केवल इच्छाशक्ति व सावधानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इन पौधों की भारतीय बाजार में ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मांग है। इसकी खरीदी-बिक्री ऑफलाइन व ऑनलाइन के जरिए से भी की जा सकती है ताकि पौधों की बिक्री अधिक से अधिक एवं लाभकारी दामों पर हो। इसमें गंभीर रूप से ध्यान केवल इसकी पैकेजिंग पर दिया जाता है ताकि उपभोक्ता तक यह सावधानी से पहुंच सके। वर्तमान में बाजार में इसे बेचे जाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के एप्लिकेशन भी मौजूद हैं।

शहरों और महानगरों में छोटी-छोटी प्रदर्शनी या मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें कुटीर उद्योगों से निर्मित अनेकों प्रकार की सामग्री प्रदर्शन के लिए रखी जाती है जिसे सही मूल्य पर खरीददार को वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आजकल तो विविध प्रकार के प्रांतीय व्यंजनों से लेकर पारंपरिक कारीगरी वाली अनेकों वस्तुओं को इस प्रदर्शनियों में बिक्री के लिए रखा जाता है जिसमें कपड़ों के क्षेत्रीय प्रकार, खाद्यान में 'अचार' के विविध प्रकार, लकड़ी पर कारीगरी वाली वस्तुएं, बच्चों के खिलौने, नवीनतम प्रकाशित पुस्तकें इत्यादि प्रचुर संख्या में प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं जिसका लाभ भी स्थानीय कुटीर उद्योगी आसानी से ले सकते हैं।

वर्तमान में बाजार व्यवस्था की मांग के अनुसार हस्तनिर्मित आभूषणों और वस्तुओं की होड़ सी लगी

हुई है जिसे कम से कम लागत मूल्य पर अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है। इस प्रकार मिश्रित धातु के प्रयोग से आभूषण बनाए जाते हैं जिसे भी सीधे उपभोक्ता को बेचा जा सकता है। अतः ऐसे बहुसंख्यक कुटीर उद्योग हैं जिसे आधुनिक युग में अपनाकर बेरोजगार, रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वदेशी वस्तुओं/उत्पादों को कुटीर उद्योग द्वारा नई क्रांति प्रदान हुई जिसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर इसे और सबल व प्रबल बनाया जा सका है जिसमें धातु निर्मित उत्पाद और रेशम बुनाई, हमेशा से ही कुटीर उद्योग के लिए एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कुटीर उद्योग इसलिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि इसमें सरल एवं कम खर्चीले संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है जो कि अधिकतर मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और एक निश्चित ऋतु में यह संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने के कारण आसानी से प्रयोग में लाए जा सकते हैं।

ओद्योगीकरण की भीड़ में पुराने परंपरागत एवं संस्कृति को संजोएँ रखने वाले प्राचीन कुटीर उद्योग कहीं लुप्त से हो गए हैं जो हमारी अनूठी सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतिक हैं। जिसे लुप्त होने से बचाना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत में प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक कई परंपरागत और राजसी कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है जिसे वर्तमान समय की मांग को ध्यान रखकर संजोएँ रखने के प्रयास अब किया जा रहा है। जिसका इस लेख के माध्यम से उल्लेख करना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में बिहार राज्य विभिन्न कलाओं की विरासत को बचाए रखने में प्रयासरत है। यहाँ की सैकड़ों साल पुरानी कलाओं को आधुनिक रूप देकर जीवित रखने का प्रयास निरंतर जारी है जिसमें कास्ट कला, कनिया पुत्री, और विश्वविख्यात मिथिला पेंटिंग और मधुबनी कला विख्यात हैं। महाराष्ट्र राज्य के बुनकरों द्वारा साड़ी पर पैठणी और कोल्हापुरी नक्काशी और मध्यप्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, बाग और नंदना नक्काशी प्रचलित हैं। इसी प्रकार

विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न कलाओं का विकास हुआ जिसे खोजकर सामने लाने में ग्रामीण उजागरकर्ताओं ने विशेष भूमिका निभाई है। उनके ध्यानाकर्षण के कारण लुप्त हो रही सभी कलाओं को विश्वपटल पर विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। जिससे कलात्मक कुटीर उद्योग को स्थायित्व प्राप्त हुआ है।

अतः भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिकता के आधार पर विशालकाय रूप से संस्कृतियों का तालमेल व मेल-मिलाप है जिसके चलते बुनियादी और परंपरागत तौर पर कई कलाएँ विकसित हुईं। जिसे कुटीर उद्योग के माध्यम से जीवित किया जा सकता है। जिसके लिए वर्तमान में यह कार्य प्रभावी रूप से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं एवं विकासशील संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है।

कुटीर उद्योग को प्रारंभ करने में कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जैसे शहरों का कई ग्रामीण इलाकों में सीधे संपर्क स्थापित नहीं होने के कारणवश बुनियादी ढांचे की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है उदाहरणार्थ बुनकरों के लिए बिजली, पानी और कच्चेमाल की समय पर उपलब्धता एवं उद्योग-रचना छोटी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त पुराने तरीकों को अपनाने और पुरानी मशीनरी के प्रयोग, उचित प्रकार से मार्केटिंग न कर पाने के कारण, निर्यात में प्रतिस्पर्धा और समयानुसार उत्पाद का चयन इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद कुटीर उद्योग जीवनयापन और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है क्योंकि इसे प्रारंभ करने के लिए कम समय, कम धन और अधिक कार्यकुशलता की नितांत आवश्यकता है ही परंतु आज के आधुनिक युग में इसे पूर्ण रूप से आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इंटरनेट एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है जिसके जरिए वस्तु/उत्पाद के रूप में आपकी प्रतिभा खरीदारों तक सीधे माध्यम से शीघ्र पहुँचने में संभव हुई है।

स्रोत - अंशतः गुगल



पेंशन अनुभाग में कार्य का संस्मरण



श्री संतोष कुमार

सहायक लेखाधिकारी

‘पेंशन’ कहते ही एक ऐसे व्यक्तिगत लाभ की परिकल्पना होती है जिसे मनुष्य अपनी सेवा अवधि के दौरान की गई अपनी निष्ठावान सेवा के पारितोषिक के रूप में देखता है। अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि पेंशन को बुढ़ापे का सहारा कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के पश्चात लोगों की दिनचर्या हेतु मौलिक वस्तुओं को खरीदने हेतु अर्थ की उपलब्धता करता है। अतः इसे सरकार की कल्याणकारी योजना माना जा सकता है एवं हमारे विभाग के कार्य (लेखा व हकदारी) में हकदारी शाखा का यह एक अभिन्न अंग है। इस अनुभाग में कार्य करना एक सुखद अनुभूति देता है क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का अंतिम परिणाम पेंशन भोगी को हमारे कार्यालय द्वारा भेजे गए प्राधिकार पत्रों की प्राप्ति के पश्चात उनके चेहरे पर आई मुस्कान से समाप्त होता है।

यह मेरे द्वारा पेंशन अनुभाग में किए गए कार्य के अनुभव को मैं साझा कर रहा हूँ। दस वर्ष की इस कार्यालय की सेवाकाल में मेरी लगभग आधी सेवा (5 वर्ष) इसी अनुभाग में हुई है। मैं नौसेना से जुलाई 2012 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात सी.जी.एल. 2012 के द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2013 को इस कार्यालय में लेखापाल के पद पर नियुक्त हुआ।

लगभग एक सप्ताह के पश्चात् मेरी नियुक्ति पीआर-3 अनुभाग में लेखापाल के पद पर हुई जो कि औरंगाबाद जिले से संबंधित पेंशन कार्य हेतु निदेशित

था। मैं अपनी वरिष्ठ जिनके स्थान पर नियुक्त हुआ था वे लंबे अरसे से छुट्टी पर थी अतः पेंशन के सुधार के मामले काफी लंबित थे। सर्वप्रथम मैंने अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की मदद से पेंशन अनुभाग का कार्य सीखा व देर शाम तक रोज कार्य कर करीब दो महीने में सारे लंबित केसों का निपटान किया। उस समय सुधार केसों के लिए 3 महीने तथा नए केसों के लिए 1 महीने की समय सीमा तय थी। मेरा लक्ष्य तय समय सीमा के भीतर केस का निपटान करना था जिसमें मुझे काफी सुखद अनुभूति होती थी। सबसे प्रसन्नता तो पेंशनर के आने पर उनके द्वारा आवेदित मामलो के निपटान पर होती थी।

पेंशन अनुभाग में मेरे कार्यकाल का दूसरा अनुभव हमारे मुंबई स्थित कार्यालय में हुआ जहाँ 2017 में मैंने सहायक लेखा अधिकारी के रूप में अपना योगदान दिया था। पूर्व सैनिकों में नागपुर कार्यालय से अधिकारी बनने वाला मैं प्रथम व्यक्ति था जो कि मेरे जीवन का लक्ष्य था। अतः मैंने अपनी इस नई जिम्मेदारी का निर्वाहन श्रेष्ठ तरीके से करने का निश्चय किया था। इस कार्यालय में पेंशन अनुभाग जिले के आधार पर नहीं विभाजित होकर विभागों के अनुसार विभाजित था। अतः यहाँ मुझे पीआर-9 जो पुलिस विभाग का कार्य देखता था का कार्यभार मिला जो कि एक पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति पर मैंने ग्रहण किया। पुलिस केस थोड़ी जटिल मानी जाती थी परंतु मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया एवं तन-मन से कार्य में लिप्त हो गया। मुंबई में रहने के दौरान प्रत्येक सप्ताह मैं शनिवार को नागपुर आकर पुनः सोमवार को मुंबई जाया

करता था। अतः वहा भी देर शाम तक अनुभाग में कार्य कर व के.आर.ए. से आगे की केस करके रखता था ताकि कभी भी छुट्टी पर केस लंबित नहीं हो। उस समय भी पुलिस विभाग में पे-लेवल 9 के सुधार से संबंधित काफी मामले आ रहे थे। इस कार्यकाल के दौरान पेंशन विविध विभाग द्वारा मुझे एवं नागपुर के ही एक अन्य वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी को अनुभाग के कार्य के अतिरिक्त सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पेंशन सुधार के लिए चुना गया जिसका कार्य 6 बजे के पश्चात् किया जाना था। उसे सहर्ष स्वीकार कर हम दोनों ने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। हालाँकि इस कार्य के लिए हमें मानदेय मिला। पेंशन अनुभाग में कार्य का स्वर्णिम लाभ मुझे प्रधान महालेखाकार कार्यालय गुजरात के द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के पीआर रिव्यू Peer Review के समूह में पेंशन के कार्य परीक्षण के लिए इस कार्यालय द्वारा मेरे चयन के फलस्वरूप में मिला। इस अवसर का लाभ लेते हुए तत्कालीन प्रधान महालेखाकार गुजरात (लेखा व हकदारी) महोदया के नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। मुंबई के कार्यालय में तैनाती के दौरान केस में छोटी-मोटी त्रुटी होने पर मैं संबंधित कार्यालयों से दूरभाष में बात कर उनका निपटान करवा लिया करता था ताकि पेंशनर के केस का समाधान शीघ्रतापूर्वक हो जाए।

अंततः जनवरी 2019 में मेरा तबादला वापस मेरे मूल कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II नागपूर हो गया एवं पेंशन अनुभाग में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में मेरा दूसरा तथा इस भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में मेरा तीसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ। उस समय वहाँ पाँच जिलों के पेंशन के सूधार कार्य किए जाते थे। वहाँ भी पुराने केसों का निपटान अपने सहकर्मियों के मनोबल

को बढ़ाते हुए किया एवं साथ-ही-साथ पीआर सेल के बंद होने तथा नए पीआर-12 अनुभाग के शुरू होने में अपना यथासंभव योगदान अपने सहकर्मियों के साथ दिया। फरवरी 2021 तक एल एंड एस में पुनः तबादले तक सफलतापूर्वक पेंशनरों के कल्याण हेतु तत्पर रहा। इसी समय पेंशन प्राधिकार पत्रों के स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग की सुविधा शुरू की गई जो कि निश्चित रूप से पेंशनर के कल्याण में भागीदार थी।

अंततः पुनः सहायक लेखा अधिकारी के रूप में मुझे पेंशनर के कल्याण हेतु 2023 अगस्त महीने में पीआर-8 अनुभाग का कार्यभार सौंपा गया। .यह कार्यकाल में मेरे पेंशन अनुभाग में कार्य करने में मील का पत्थर साबित होने वाला था। इनकी वजह निम्नलिखित हैं-

पेंशनरों के कल्याण हेतु माननीय प्रधान महालेखाकार महोदया के नेतृत्व में पेंशन समाधान का कार्य प्रारंभ किया गया जो कि पेंशनरों की समस्या के समाधान में एक क्रांतिकारी कदम था। इसमें विडियो संवाद द्वारा पेंशनर से साक्षात्कार होने एवं उनकी समस्या के समाधान की जानकारी देने पर उनके चेहरे पर खुशी देखने का अनुभव परमानंद देने वाला एवं अलौकिक था। इस कार्यप्रणाली के लागू होने पर न केवल पेंशनरों की समस्या का समयबद्ध तरीके से निवारण होता था बल्कि उनके समाधान से हम सब कर्मिकों को भी गर्व के अनुभव के साथ उनके शीघ्र समाधान की प्रेरणा मिलती थी।

2) ई-पीपीओ का प्रारंभ - पेंशन अनुभाग के क्षेत्र में माननीय प्रधान महालेखाकार महोदया के नेतृत्व में ई-पी.पी.ओं की शुरूवात की गई जिसके द्वारा पीपीओ पुराने प्राधिकार पत्र के रूप में न भेजकर अब डीडीओ, पेंशनर तथा कोषागार अधिकारी को प्राधिकार

पत्र ऑनलाईन डीजिटल रूप में भेजा जाने लगा। इसके साथ पेंशन प्राधिकार पत्र जारी होते हैं, इसकी सूचना पेंशनर को मोबाइल में संदेश द्वारा प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई। इस क्रांतिकारी सुधार से न केवल महंगी लेखन-सामग्री, पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ के प्राधिकार पत्रों के रूप में बचत हुई बल्कि ऑनलाईन डेटा जाने से संबंधित विभाग पेंशनर तथा कोषागार कार्यालय को प्राधिकार पत्रों के डाक में लगने वाले समय की बचत होने के कारण पेंशन के लाभों का त्वरित भुगतान किये जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। साथ ही साथ अनुभाग में प्राधिकार पत्रों की तैयारी में लगने वाले समय तथा मानव कार्य की बचत भी हुई।

3) सर्वाधिक सुधार केंसों का निपटान-
मेरे इस कार्यालय में मैंने अपने सभी कार्यकालों की तुलना में सबसे अधिक पेंशन सुधार का कार्य किया जो कि महाराष्ट्र शासन के दिनांक 28.06.2023 के 30 जून को सेवानिवृत्त पेंशनरों को काल्पनिक वेतन वृद्धि के संदर्भ में हमारे कार्यालय को विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए थे। अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच करीब 500 केस प्रत्येक महीने किये गए जो कि कार्य की गंभीरता को दर्शाता है। इसमें मेरे अनुभाग के कर्मियों तथा मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का भी काफी योगदान रहा जिनके बगैर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना असंभव था।

4) व्यक्तिगत उपलब्धि- यह कार्यकाल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि की भी पराकाष्ठा थी क्योंकि इसी कार्यकाल के दौरान मेरा चयन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रतिष्ठित दूतावास लेखापरीक्षण (Embassy Audit) के लिए हुआ जिसमें मुझे साओ टोमे तथा प्रिंसीपी (Sao tome and Principie) एवं दक्षिण अफ्रिका में H.C.I. प्रिटोरिया

तथा (C.G.I.) डर्बन की जिम्मेदारी मेरे टीम लीडर तथा एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के साथ दी गई थी। इसकी परीक्षा मैंने मई 2022 में दी थी जिसका परीक्षा केंद्र मुंबई था। यह चयन दो मायनों में विशेष था। पहला कि साओ टोमे तथा प्रिंसीपी (Sao tome and Principle) के दूतावास जो कि 2021 में खुले थे उसकी यह पहली लेखापरीक्षा थी एवं दूसरा कि मेरे बैच में 11 टीमों में चयनित 22 अधिकारियों में से (आईए एंड एएस अधिकारियों को छोड़कर) मैं अकेला लेखा व हकदारी कार्यालय से था।

अंततः पेंशन में मेरे कार्य अनुभव को मैं इस बात से विराम देना चाहता हूँ कि लेखा व हकदारी में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सेवाकाल में पेंशन अनुभाग में कार्य कर पेंशनरों के कल्याण में भागीदार बनना चाहिए एवं उनसे मिले आशीर्वाद से अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहिए।



मेरा गाँव



कुमारी प्रियंका
कनिष्ठ अनुवादक

कितना प्यारा मेरा गाँव
शुद्ध, शांत और सुकून भरा मेरा गाँव
हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भूत संगम
खेतों की महक और ताजी हवा
जीवन को देती एक अद्भूत पहल।
पक्षियों के मधुर संगीत से शुरु होता हर एक सुबह
अपने-अपने बैलों और हलों को लिए
खेतों की ओर जाते कृषक
खाली खलियानों में
गाएं, भैंस, भेड़, बकरियाँ चरती हैं
ऐसा दृश्य जीवन को उत्साह और आनंद से भर देती हैं।
गाँव के बच्चे खुले मैदान में खेलते हैं
बड़ी-बूढ़ी महिलाएँ शाम को साथ
बैठकर गाँव भर की बातें करती हैं
फिर भी यहाँ के लोग साथ मिल-जुलकर रहते हुए
एक मजबूत समुदाय की भावना रखते हैं।
हम हर त्योहार उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं
मेलों की रौनक हर चेहरे पर झलकती है
मेरा गाँव मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है
मेरे सुख, शांति और समृद्धि का एक भवसागर है।



श्री बाल बिहारी प्रजापति
वरिष्ठ लेखापाल

सदा खुशियों से आबाद रहें
जीवन के ये गलियारे
नन्हें मुन्हें गुड्डा गुड्डियों की
हठखेलियों से सदा भरे रहें
घर आँगन जीवन के ये गलियारे
जीवन के उस पथ पर
जहाँ कुछ पाना है
विद्या की देवी माँ सरस्वती के
वीणा के तानों से सदा सधे रहें
जीवन के ये गलियारे
कठिनाइयों असफलताओं से न हारें कभी
जीवन की टेडी-मेडी पगडण्डियों में
फूलों की खुशबुओं में पेड़ों की छाँव में
राजाओं से बने रहें
जीवन के ये गलियारे
सुख वैभव की चाहत हो पूरी मेरी
मेहनत हो सारी सफल पूरी मेरी
लक्ष्मी स्वरूपा वो मेरी अर्धांगिनी के
प्यार से हरे भरे रहें
जीवन के ये गलियारे
भारतमाता के बच्चे सरहद पर
महफूज रहें दुश्मनों से
खतम कर सब दुश्मनों को
आजाद रहे जीवन के ये गलियारे
जब अंत समय आये
सब कुछ हो मेरे पास
बच्चों के सुख वैभव को देखकर
स्वर्ग की अग्नि में जाये
जीवन के ये गलियारे

महाकुंभ 2025 का अमृत स्नान



श्रीमती तृप्ती प्रशांत देशपांडे

सहायक लेखाधिकारी

महाकुंभ एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक पर्व है, जो 144 वर्षों के बाद इस वर्ष 2025 में आया है। यह पर्व हिन्दु धर्म में आस्था और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ में गंगा, जमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस महाकुंभ के पावन पर्व में जाकर स्नान करना एक अनोखा अनुभव था।



शुरूआत में मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएँ थीं मैंने सुन रखा था कि महाकुंभ में बहुत भीड़ होती है, रास्तों पर गाड़ीयों की लंबी कतारे होती है और रहने खाने की भी उचित व्यवस्था नहीं होती। इसलिए मेरे मन में इस महाकुंभ की यात्रा को लेकर संकोच था। लेकिन मेरे परिवार और सहेलियों ने मेरा हौसला बढ़ाया और अंततः मैंने महाकुंभ में जाने का निर्णय लिया।

मैं अपने बड़े पुत्र के साथ नागपुर से लखनऊ पहुँची और वहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित बस से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। हमें कहीं भी ज्यादा भीड़ या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। प्रयागराज में हमने संगम के पास महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी) प्रयागराज द्वारा बनाए गए एक शिविर में ठहरने की व्यवस्था की। वहाँ की प्रशानिक व्यवस्थाएँ अत्यंत अनुशासित और सुव्यवस्थित थीं।

अगले दिन नाव से संगम स्थल पर पहुँचे। चारों ओर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और पूरा वातावरण भक्तिमय था। मैंने जैसे ही गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाई, मन में अद्भुत शांति और आध्यात्मिक उर्जा का संचार हुआ। यह अनुभव अविस्मरणीय था और फिर से दुसरे दिन महाशिवरात्री के शुभ अवसर पर पुनः एक बार डुबकी लगाई।



मैं इस अनुभव को जिंदगी भर याद रखूँगी और इस तरह इस महापर्व की यादों को अपने दिलों में समेटकर नागपुर लौट आए।





कुमारी प्रियंका

कनिष्ठ अनुवादक

नए वर्ष में हम खुद से न जाने कितने संकल्प करते हैं, वादे करते हैं कि अगले वर्ष तक ये करना है वो करना हैं। चलिए हम उन वादों के बीच खुद से और एक संकल्प करते हैं कि अगले एक वर्ष के दौरान हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण करेंगे। प्रति वर्ष 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' और 28 जुलाई को 'विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस' मनाया जाता है। लेकिन 365 दिनों में से केवल एक या दो दिन पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदन व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। हमें वर्ष प्रतिवर्ष खुद से पर्यावरण संरक्षण करते रहने का संकल्प करना होगा।

पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण को कम करने से है। इसमें जल, वायु, मृदा, वन और जैव विविधता की रक्षा शामिल है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखना और मानव जीवन के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इससे केवल प्रकृति की ही रक्षा नहीं होगी बल्कि हमारा अपना अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। जब हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी जीवन शैली को सुधारने और अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

हम पर्यावरण का संरक्षण विभिन्न उपायों को अपनाकर कर सकते हैं। इसमें वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, ईंधन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रि-यूज, रि-साइकिल, रिड्यूज, वन्य जीव संरक्षण, प्लास्टिक का उपयोग खत्म करना आदि शामिल हैं। यह उपाय, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने और उसे

बेहतर बनाने में मदद करते हैं।



वनों से हमें स्वच्छ हवा, जल और खाद्य सामग्री और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद मिलती हैं। पेड़ और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमारे वायुमंडल को साफ और सुरक्षित रखते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करते हैं, इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए वन संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। ऐसे में खेती, उद्योग, कारखानों के निर्माण, बहुमंजिला इमारतों आदि के लिए वनों की कटाई पर हमें रोक लगानी होगी। इसी के साथ, वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजेलिस के जंगलों में फैली भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। यह आग लगभग 40,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी थी। जिसमें 10 लोगों के साथ कई लगजरी हवेली आग के लपटों में जलकर राख हो गये। कई दिनों तक फायरफाइटर्स के तमाम कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस प्रकार वनों में आग लगती रहती है जिससे प्राकृतिक संपत्ति के साथ-साथ जान-माल की क्षति होती रहती है और जलने के दौरान, वातावरण में फैलने वाले हानिकारक गैसों से पृथ्वी दूषित होती है। हमें भविष्य में इस प्रकार कि आग से बचने के लिए वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों को एक मंच पर आकर योजनाएं बनानी चाहिए।

अगर बात जल प्रदूषण के संबंध में की जाए तो पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका है। जिससे पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जल अधिकांश महासागरों और समुद्र में मौजूद होने के कारण ये जल खारे होते हैं जो मानव व अन्य किसी जीवों के उपयोग के लायक नहीं होते। 3 प्रतिशत उपयोग लायक जल में से 2 प्रतिशत जल तो धरती पर बर्फ और ग्लेशियर के रूप में हैं। केवल 1 प्रतिशत जल ही पीने योग्य हैं। और यह भी धीरे-धीरे कम और दूषित होते जा रहा है। अधिकतर बीमारियों का कारण प्रदूषित जल ही होता है इसलिए जल संरक्षण बहुत जरूरी होता है। जीवन जीने के लिए स्वच्छ जल बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें जल का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। इसके लिए जल संरक्षण का कार्य अपनी दैनिक दिनचर्या जैसे कम देर तक नहाना, ब्रश या शेव करते समय नल बंद रखना, वर्षा का जल इकट्ठा करना आदि से शुरू करना चाहिए। पेयजल संरक्षण के अन्य उपायों में जल का सही उपयोग, रिसाइक्लिंग, और पुनः उपयोग आदि भी शामिल हैं। जल संरक्षण से हमें भविष्य में जल संकट से बचने में मदद मिलती है और जल संरक्षण के उपायों से हमारे कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होता है।

आज निरंतर आधुनिकीकरण के कारण जहां लोगों का जीवन बेहतर, सरल, सुलभ होते जा रहा है वहीं दूसरी ओर यातायात उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। जंगल की आग, खनन गतिविधियां, वाहनों द्वारा पेट्रोल व डीजल का प्रयोग, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निष्कासन आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से कुछ हैं। जिससे सर्दियों के मौसम में धुंध, साँस लेने में तकलिफ, त्वचा संबंधी रोग, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जटिल रूप धारण करती जा रही हैं। यह कहते हुए बहुत ग्लानि महसूस होती है कि दिल की धड़कन कहे जाने वाली, दिल्ली विश्व की सबसे अधिक दूषित राजधानियों में से एक है। वायु प्रदूषण का ही नतीजा है कि सर्दियों के दिनों में भारत की राजधानी, दिल्ली में धुंध के कारण

लोगों का जीवन जीना दूभर हो जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और ईंधन से चलित वाहनों की जगह इलेक्ट्रॉनिक व सौर ऊर्जा चलित वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों से हमारी श्वसन प्रणाली स्वस्थ रहती है और हमें विभिन्न बीमारियों से बचाव मिलता है।

मृदा संरक्षण का अभ्यास कृषि उत्पादन को बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा संरक्षण में मृदा कटाव, पोषक तत्वों के नुकसान और अन्य प्रकार के क्षरण से बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल है। आज कल सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, अजैविक कुड़े-कचरों का सही निपटान न करना, कल-कारखानों के हानिकारक पदार्थ, खेतों में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त उर्वरकों का उपयोग भी मृदा को अनुपजाऊ बना रही है। पेड़ लगाना मृदा कटाव रोकने का सबसे सटीक उपाय है। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गाँव में शुरू किया गया 'चिपको आंदोलन' आज तक के वनों की कटाई के खिलाफ विशेष आंदोलनों में से एक है। मृदा संरक्षण से हमें स्वस्थ फसलें और वनस्पतियाँ मिलती हैं। इससे हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मृदा संरक्षण से हमें स्थायी कृषि प्रणाली विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे हमारी खाद्य उत्पादन क्षमता में सुधार होता है।

ऊर्जा संरक्षण भी पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग रोकते हुए ऊर्जा का कम-से-कम उपयोग करना है, ताकि भविष्य के लिए भी ऊर्जा स्रोतों को बचाया जा सके। ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के विकास की मापक या सूचक होती है। किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास, रोजगार उत्पन्न करना या अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आदि लाने का एक मात्र साधन

ऊर्जा है। और ये सब केवल ऊर्जा संरक्षण से ही हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का कार्य एक या दो व्यक्ति की जिम्मेदारी न होकर इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का एक स्रोत बन गया है। साल 2024 पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म साल रहा जब पृथ्वी का औसतन तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ऊर्जा संरक्षण का कार्य हम दैनिक जीवन से शुरू करके विभिन्न स्तरों पर कर सकते हैं। जैसे कि उपयोग में न आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करके रखना, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करना, एयर कंडीशनर के बजाय पंखे का उपयोग करना आदि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों को बढ़ावा देना भी ऊर्जा संरक्षण है। तभी भारत में 2030 तक 50 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान समय में पूरे विश्व में 'सिंगल यूज प्लास्टिक बैन' का आंदोलन चल रहा है। प्लास्टिक के निर्माता ने शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि कुछ सालों बाद प्लास्टिक विश्व के लिए एक जहर का काम करेगा। प्लास्टिक प्रदूषण का शिकार न केवल मानव है बल्कि धरातल पर रहने वाले सारे जीव-जंतु और सारे जलीय प्राणी भी इसके शिकार हैं। प्लास्टिक पानी, हवा और भूमि में आसानी से नष्ट नहीं होता और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का कारण बन जाता है। सड़कों पर पन्नी या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को फेंकना गलत है क्योंकि जानवर उसे चलते-फिरते खा लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। समुद्र, तालाबों, नदियों या महासागरों आदि में फेंके जाने वाले कूड़ों में कई तरह की प्लास्टिक की चीजें मौजूद होती हैं जिनके खाने से जलाशयों में रहने वाले जानवरों की मौत हो जाती है क्योंकि प्लास्टिक या तो उनके गले में फंस जाता है या उनके पाचन व्यवस्था को असंतुलित कर देता है। इस प्रकार के समस्या से बचने के लिए प्लास्टिक से बनी

सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसे जमीन में गाड़ने से भूमि की उर्वरता नष्ट होती है और जलाने से सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रस डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले रसायन निकलते हैं। इसीलिए इसे अधिक से अधिक रिसाइकिल करें ताकि यह वातावरण को दूषित न करें। हमें प्लास्टिक की पॉलिथीन की जगह कपड़े के थैले का अधिक उपयोग करना चाहिए। खुद के साथ-साथ दूसरों को भी प्लास्टिक इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए।

अंत में पर्यावरण संतुलन के सबसे सरल तरीकों में एक है जिसे कोई भी कर सकता है-3 आर यानी-रियूज, रिड्यूज और रिसाइकिल, जिसे 'अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया' का आधार माना जाता है। रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल से वातावरण को कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता है। रियूज और रिसाइकिल से पुरानी चीजों से उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है और रिड्यूज के लिए हमें अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमेशा टिकाऊ वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो मजबूती से बनी हो या जिन वस्तुओं की गारंटी लंबे समय तक हो इससे लैंडफिल की जगह बचेगी। फिर बार-बार इनका उपयोग करने के बाद रिसाइकिल करके इन वस्तुओं का पुनः प्रयोग अन्य रूप में किया जा सकेगा। '3 आर' बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसे हम सभी अपने-अपने स्तर पर कर सकते हैं।

इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हमारे छोटे-छोटे प्रयास पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगर हम 150 करोड़ भारतीय के साथ विश्व की 8 अरब जनता सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण के कुछ कारणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो बहुत हद तक इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। आखिर बिगड़े हालातों को भी तो हम मनुष्यों ने ही उत्पन्न किया है, इसलिए इसे सुधारने का दायित्व भी हमारा ही है, तो अब कम से कम इस लेख को पढ़ने वाले पाठक हर एक नए वर्ष की शुरुआत में अपने स्तर पर जितना हो सके उतना पर्यावरण संतुलन का संकल्प लें। अंग्रेजी की एक कहावत भी है कि "Even one man can bring great difference. (एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है।)





श्री महेश सुभाष ईशी

वरिष्ठ लेखापाल

जब एक आदमी की मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा कि बेटा मेरे पास धन-संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूँ। पर मैंने जीवनभर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जायेगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग कर दिए। अब घर का खर्च बेटे धर्मपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है। क्योंकि उन्होंने जीवन में दुःख उठाया, पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बारबार यह बात निकलती थी।

एक दिन एक मित्र ने पूछा: “तुम्हारे पिता में इतना बल था, तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए? सुखी क्यों नहीं हुए?” धर्मपाल ने कहा: “मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ।” इस प्रकार वह बारबार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया ‘पिता का आशीर्वाद!’ धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता, वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूँ, यही चाहता हूँ। ऐसा

करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता, उससे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है! तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूँ। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा, कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊँ कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहां 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं।

भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर, जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूँ कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था।

तब उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि, यह कौन है? उन्होंने कहा: यह सुल्तान हैं। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा: मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ। और यहां पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझ कर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि

सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं। परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी-बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा: आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा: बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था। तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहां कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहां गिरी पता नहीं। तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे।

धर्मपाल ने कहा: अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा: नहीं! उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास हैं। पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कह कर के सुल्तान ने फिर पूछा: बोलो सेठ, आप क्या माल ले कर आये हो। धर्मपाल ने कहा कि: लौंग! सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ। यहां लौंग बेचने आये हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी।

जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहां लौंग को कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा: मुझे यही देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा: पिता के आशीर्वाद? इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा: मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे। परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते-बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी

भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो..

धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरों से जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला: वाह खुदा आप की करामात का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा: फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ। धर्मपाल को गले लगाया और कहा: मांग सेठ। आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा: आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा: सेठ तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा।

इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हों, तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं।

बालक के मन को जानने वाली मां और भविष्य को संवारने वाले पिता यही दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें! यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए। माता और पिता पृथ्वी के दो भगवान के सामान हैं उनकी सेवा ही ईश्वर सेवा है



डिजिटल पहलों का कार्यालय में शुभारंभ

दिनांक 27-03-2025 को सुश्री जया भगत, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर ने पेंशनभोगियों और सामान्य भविष्य निधि (GPF) अंशदाताओं के लिए सेवाओं की समयबद्धता और प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों का उद्घाटन किया। इस शुभारंभ से नागपुर विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। इन पहलों में शामिल हैं:



1. इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (e-PPO)

पहले, पेंशन से संबंधित मुल पेंशन, पारिवारिक पेंशन और संशोधन जैसे मामलों को मैनुअली संसाधित किया जाता था जिससे देरी, दस्तावेजों की गुमशुदगी और कानूनी विवाद उत्पन्न होते थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर ने इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (e-PPO) प्रणाली लागू की जिससे पेंशन सेवाओं का पूरा डिजिटलीकरण किया गया।

- अप्रैल 2024 से सभी मुल पेंशन मामलों को डिजिटल रूप से संसाधित किया जा रहा है जिससे पेंशन आदेशों का त्वरित, त्रुटिहीन और सुरक्षित वितरण सुनिश्चित हुआ है।

- पेंशनभोगी अब अपने पेंशन आदेश सीधे निवृत्ति वेतन वाहिनी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं जिससे डाक सेवाओं पर निर्भरता कम हो गई है और पारदर्शिता बढ़ी है।
- अप्रैल 2025 से e-PPO प्रणाली को पारिवारिक पेंशन और संशोधन मामलों के लिए भी लागू किया जाएगा जिससे पूरी प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जाएगा।





ई-प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए।
डॉ. भूषण भिरुड, वरिष्ठ उप महालेखाकार



(OGRS) का शुभारंभ करते हुए - प्रधान महालेखाकार महोदया



केक काट कर शुभारंभ करते हुए - प्रधान महालेखाकार महोदया



अपनी सुखद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पेंशनर



प्रधान महालेखाकार महोदया संबोधित करते हुए।



आभार प्रदर्शन करते हुए - श्री कुलभूषण शर्मा, व.ले.अ.

- पेंशनभोगियों को एसएमएस के माध्यम से रियल-टाइम स्थिति अपडेट प्राप्त होते हैं जिससे समय पर भुगतान और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।
- पेंशनभोगी अपनी केस स्थिति को PAG वेबसाइट के 'पेंशन' टैब में देख सकते हैं जहां पिछले तीन महीनों और चालू महीने के अंतिम मामलों का विवरण उपलब्ध होगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक सामान्य भविष्य निधि (e-GPF)

सामान्य भविष्य निधि (GPF) के अंतिम भुगतान की मैनुअल प्रक्रिया के कारण दस्तावेजों की गुमशुदगी और प्रक्रियागत देरी से कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर ने e-GPF प्रणाली शुरू की।

- इस डिजिटल प्रणाली ने GPF दावों के निपटान की गति बढ़ाई है जिससे भुगतान आदेशों का त्वरित जारी होना संभव हुआ है।
- इससे डाक विलंब समाप्त हुए हैं और पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुरक्षित और पारदर्शी हो गई है।
- प्रारंभिक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, नागपुर जिले में शुरू की गई e-GPF प्रणाली को अब विदर्भ और मराठवाड़ा में विस्तारित किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को अधिक तेज़ और विश्वसनीय GPF निपटान प्रक्रिया मिलेगी।
- GPF अंशदाता PAG वेबसाइट के "GPF" टैब में जाकर अपने बैलेंस की जानकारी देख सकते हैं, पिछले पांच वर्षों के विवरण डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी क्रेडिट या डेबिट त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं।
- GPF अंशदाताओं को मासिक अंशदान, अंतिम भुगतान रसीद और स्थिति अपडेट की सूचनाएं भी प्राप्त होंगी।

3. ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (OGRS)

ऑनलाइन शिकायत करेंगे और अपडेट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे जिन्हें उपयोगकर्ता देख सकते हैं।

4. पेंशनर्स समाधान: सार्वजनिक सेवा वितरण में नई पहल

कोविड-19 महामारी के दौरान, यह देखा गया कि पेंशनभोगियों को अपने मामलों की स्थिति जानने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस समस्या ने यह सोचने पर मजबूर किया कि वर्षों की सेवा के बावजूद पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को ऐसी कठिनाइयों का सामना क्यों करना चाहिए?

इसी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ 'पेंशन आपके द्वार' कार्यक्रम और 'पेंशनर्स समाधान' की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनधारक WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से PAG कार्यालय के अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

ये डिजिटल पहलें पेंशन और GPF से संबंधित सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं जिससे महाराष्ट्र के हजारों पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को लाभ होगा। ये पहलें पेंशनभोगियों और GPF अंशदाताओं को सशक्त बनाती हैं और उनकी सेवा में सुधार सुनिश्चित करती हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर सेवा वितरण में नवाचार और डिजिटलीकरण को निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



सुश्री जया भगत, प्रधान महालेखाकार
पेंशनधारकों को प्राधिकार पत्र
प्रदान करते हुए।



सामान्य भविष्य निधि – डिजिटल सेवा

शीर्षक: महाराष्ट्र राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं/पेंशनर को सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार, नागपुर द्वारा हाल ही में की गई डिजिटल पहल।

नागपुर, जनवरी 2025 महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल सुविधा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाने में सुश्री जया भगत, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-महाराष्ट्र, नागपुर ने विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्रों के पेंशनर्स और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) ग्राहकों/अभिदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई दो ई पहलों की शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव को सुव्यवस्थित करना और बढ़ाना है।

- 1. जीपीएफ खाता शेष (अकाउंट बैलेंस) और अन्य विवरण ऑनलाइन देखने की सुविधा:** जीपीएफ खाता अभिदाताओं/ग्राहकों की सेवा के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय (<https://cag.gov.in/ae/nagpur/en>) की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नई सुविधा शुरू की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारी अब आसानी से अपनी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर्ची देख और डाउनलोड कर सकते हैं, वर्तमान तिथि के अनुसार खाते की शेष राशि सहित अपने जीपीएफ खाते के विवरण की जांच कर सकते हैं और किसी भी लुप्त (लापता) क्रेडिट की पहचान कर सकते हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभिदाता उनके पिछले ५ वर्षों की जीपीएफ स्लिप को भी देख सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए, जीपीएफ अभिदाताओं को प्रधान महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट पर जीपीएफ टैब के तहत 'जीपीएफ विवरण' अनुभाग पर जाना होगा, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे और अद्यतन जीपीएफ शेष व लुप्त क्रेडिट विवरण प्राप्त करें। यदि क्रेडिट में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभिदाता प्रधान महालेखाकार कार्यालय में आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक विवरण अपलोड कर सकते हैं।
- 2. अंतिम पेंशन मामलों का विवरण ऑनलाइन देखने की सुविधा:** पेंशनभोगियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने अंतिम पेंशन मामलों के विवरण की जांच के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के बाद प्रधान महालेखाकार कार्यालय संबंधित पेंशन संस्वीकृति अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रेषण पत्र के साथ सेवा पुस्तिका भेजता है। यह प्रेषण जानकारी अब कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जिसमें पिछले तीन महीनों के प्रेषण शामिल होंगे। साथ ही, चालू महीने के दौरान अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामलों का विवरण कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है और पारदर्शिता बढ़ गई है।

यह पहल महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कार्यक्षम और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार, नागपुर द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों का भाग हैं। ऑनलाइन सुविधाओं का उद्देश्य कागजी

कार्रवाई को कम करना और उपयोगकर्ता को अनुकूल इंटरफेस प्रदान करना है, जिससे सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणों और समयपर अद्यतन जानकारी तक आसानी से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।



निवृत्तीवेतनधारकांना ऑनलाईन पाहता येईल जीपीएफ शिल्लक

अंतिम पेन्शन प्रकरणांसह इतर तपशीलही उपलब्ध

लोकशाही वार्ता/नागपूर

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना जीपीएफ खात्यातील शिल्लक आणि इतर तपशील आता ऑनलाईन पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रधान महालेखापाल कार्यालयाच्या अधिकृत

संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती प्रधान महालेखापाल जया भगत यांनी दिली.

या सुविधेमुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या विदर्भ आणि मराठवाडा प्रांतातील निवृत्तीवेतनधारक आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) अभिदात्यांना याचा लाभ घेता येईल. याचबरोबर सामान्य



भविष्य निर्वाह निधीच्या जी.पी.एफ. स्लिप्स सहजपणे डाउनलोड करू शकतील. गत ५ वर्षांच्या जीपीएफ स्लिप्स देखील ऑनलाईन उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. ही सेवा वापरण्यासाठी, जी.पी.एफ. अभिदात्यांनी प्रधान महालेखापाल कार्यालयाच्या वेबसाइटवर जी.पी.एफ. टॅबखालील 'जी.पी.एफ. तपशील' विभागाला भेट द्यावी. त्यांची

लॉगिन प्रमाणपत्रे प्रविष्ट करावी आणि अद्यावत जी.पी.एफ. शिल्लक आणि गहाळ क्रेडिट (पत) तपशील मिळवावा. क्रेडिटमध्ये काही विसंगती आढळल्यास, अभिदाता पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक तपशील प्रधान महालेखापालांच्या कार्यालयात अपलोड करू शकतो, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना कार्यक्षम आणि पारदर्शक सेवा पुरवण्यासाठी नागपूरच्या प्रधान महालेखापालांच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. अधिक माहितीसाठी कार्यालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्या, असे आवाहन प्रसिद्धी

पेन्शनधारकांना अंतिम पेन्शन प्रकरणांची माहिती ऑनलाईन सुविधाद्वारे आता घेता येईल. पेन्शन प्रकरणे अंतिम केल्यानंतर, प्रधान महालेखापाल कार्यालय संबंधित पेन्शन मंजुरी अधिकारी/आहरण आणि सॉव्हरण अधिकार्यांना आपल्या पत्रांसह सेवापुस्तिका पाठवते. या बाबतची माहिती आता कार्यालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. यात गत तीन महिन्यांसह चालू महिन्यात अंतिम झालेल्या पेन्शन प्रकरणांची माहिती कार्यालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

Vidarbha's GPF subscribers gain from PAG's move
TIMES NEWS NETWORK

Nagpur: In a major step towards digitisation, the Principal Accountant General (A&E)-II Maharashtra, Jaya Bhagat, rolled out two online services aimed at benefiting General Provident Fund (GPF) subscribers and pensioners in Vidarbha and Marathwada.

The initiatives, launched through the PAG Nagpur office's website, are designed to provide easy access to financial details while improving transparency and efficiency.

The first initiative allows state govt employees to check their GPF account details online. For the first time, subscribers can view their account balance in real time, download GPF slips for the past five years, and track missing credits. If any discrepancies are found, users can directly upload documents to rectify errors. The facility is available under the 'GPF details' section of the PAG office's website, requiring only login credentials for access.

For pensioners, the second initiative offers an online facility to track finalised pension cases. Earlier, pensioners relied on physical dispatches or prolonged correspondence with govt offices to get updates.

कार्यालय समाचार

ऑडिट दिवस

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंतर्गत भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष 16 नवंबर को 'ऑडिट दिवस' मनाया जाता है और इसी के साथ जनमानस में इस विभाग के महत्वपूर्ण योगदान संबंधी जनजागृति हेतु 'ऑडिट सप्ताह' का आयोजन किया जाता है, इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। 'ऑडिट दिवस-24' के अवसर पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा 18 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

25/11/2024 को कार्यालय में 'स्वच्छता अभियान' का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के महालेखाकार महोदय सहित सभी वरिष्ठ उप महालेखाकार, अधिकारीगण व कर्मचारियों ने कार्यालय के परिसर की सफाई कर अपने आस-पास स्वच्छता बनाएं रखने का संकल्प लिया।



कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 26/11/2024 को हुआ जिसमें लगभग 30 कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 27/11/2024 को स्कूली छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के 450 से अधिक बच्चों ने भाग लिया।



दिनांक 28/11/2024 को महाविद्यालयीन छात्रों के लिए “स्टडी टूर” का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालयीन छात्रों को भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग के कामकाज एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)–II, महाराष्ट्र, नागपुर के कार्य जैसे कि पेंशन, लेखा स्कंध और कोषागार संबंधी कार्यालयीन काम-काज की जानकारी दी गई।



29 नवंबर को समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के पुलिस आयुक्त, डॉ. रविन्द्र सिंघल उपस्थित थे। इस अवसर पर महालेखाकार श्री दत्तप्रसाद शिरसट, वरिष्ठ उप महालेखाकार श्री दिनेश माटे, वरिष्ठ उप महालेखाकार श्री अक्षय खंडारे, वरिष्ठ उप महालेखाकार डॉ. भुषण भिरूड, वरिष्ठ उप महालेखाकार श्री जे.बी.गुप्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महालेखाकार महोदय ने अपना मनोगत व्यक्त किया। डॉ. सिंघल ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी खर्च का लेखापरीक्षण आपके विभाग को करना होता है, देश के हालात को बेहतर रखने के लिए बड़े आवहानात्मक कार्य को निभाना पड़ता है।

अतिथि के संबोधन के बाद सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वरिष्ठ उप महालेखाकार श्री अक्षय खंडारे इनके द्वारा आभार प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम का अंतिम चरण “वाकेथॉन” को हरी झंडी दिखाकर चार किलोमीटर चलकर ऑडिट सप्ताह का समापन हुआ।



इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुश्री सारिका पाटिल, कल्याण सहायक मोहम्मद सलीम तथा सहायक लेखा अधिकारी श्री रविन्द्र बागड़ी के अलावा कार्यालय के अधिकारियों ने भरपूर परिश्रम लिया।

गणतंत्र दिवस का आयोजन

76 वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2025 को प्रधान महालेखाकार महोदया सुश्री जया भगत इनके कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इसके पश्चात कर्मचारियों द्वारा विविध देशभक्ति गीतों की प्रस्तुती की गई।



वार्षिक स्नेह सम्मेलन वर्ष 2024-25 का आयोजन

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर के कार्यालय में परंपरानुसार इस वर्ष भी दिनांक 05 फरवरी 2025 से 07 फरवरी 2025 तक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान महालेखाकार, महोदया सुश्री जया भगत एवं मुख्य अतिथि, डॉ वेदप्रकाश मिश्रा (कुलाधिपति और कृष्णा विश्व विद्यापीठ के प्रधान सलाहकार, मानद विश्वविद्यालय, कराड) द्वारा किया गया। स्नेह सम्मेलन में प्रश्न-मंच, हिंदी नाटक, ऑर्केस्ट्रा तथा अन्य विविध मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विविध खेलों एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। दिनांक 07 फरवरी 2025 को प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रधान महालेखाकार महोदया, सुश्री जया भगत, वरिष्ठ उप महालेखाकार(प्रशासन), श्री अक्षय मोहन खंडारे, वरिष्ठ उप महालेखाकार, डॉ. भुषण बी. भिरुड़ और वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री जे. बी. गुप्ता द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।



वार्षिक स्नेह सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रतियोगिता की शलकियाँ



नाटक का आयोजन



भोजन, ऑर्केस्ट्रा एवं पुरस्कार वितरण



राजभाषा समाचार

भारत सरकार की राजभाषा नीति के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु सतत कार्य किए जाते हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों को जहाँ एक ओर प्रोत्साहित किया जाता है वहीं उन्हें राजभाषा संबंधित नियमों, नीतियों, अधिनियमों, धाराओं से पूर्ण रूप से अवगत कराकर, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान में, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दिए गए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप ही कार्यालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से किए गए हिंदी के पत्राचार का निर्धारित समेकित 90% प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है।

कार्यालय में राजभाषा नीति के प्रमुख निदेशों को ध्यान में रखते हुए तथा वार्षिक कार्यक्रम के प्रमुख मर्दों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए निम्नवत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है।

1) कार्यालयीन राजभाषा समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन

1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान सितंबर-2024 और दिसंबर-2024 को समाप्त तिमाही में कुल 2 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मदवार समीक्षा की गई। प्रधान महालेखाकार महोदय ने कार्यालय से 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से किए गए हिंदी के पत्राचार का समेकित 90% प्रतिशत से अधिक के लक्ष्य को प्राप्त करने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसपर उत्तरोत्तर वृद्धि करने के निर्देश दिए।

2) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

कार्यालय में हिंदी कार्यशालाओं को आयोजित करने के एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाना, हिंदी में किए जानेवाले कार्य की गुणवत्ता को उन्नत करना और उन्हें हिंदी के कार्य में दक्ष बनाना। इसके साथ ही कार्यालयीन व्यावहारिक कठिनाइयों को भी दूर करना और भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधित समय-समय पर जारी अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्यालय में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि कार्मिक राजभाषा नीति के नियमों/अधिनियमों का अनुपालन कर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।



राजभाषा विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक पूर्ण कार्य दिवस की है जिसमें न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करना है जिसका पूर्ण-रूपेण पालन किया जाता है।

प्रति तिमाही में एक (1) पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। कार्यालय द्वारा अब तक इस वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 4 (चार) कार्यशालाएं आयोजित की गईं। तृतीय कार्यशाला दिनांक-06/12/2024 को आयोजित की गई एवं इसमें लगभग 20 से 25 सहायक लेखा अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिसके अंतर्गत 75 मिनट के चार सत्रों आयोजन किया गया। तृतीय हिंदी कार्यशाला में संकाय सदस्यों के रूप में श्री अनिल त्रिपाठी, सहायक निदेशक(राजभाषा), आयकर विभाग, नागपुर(दो सत्रों हेतु) और श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह, विशेष कार्य अधिकारी, व्ही.एन.आय.टी, नागपुर दो सत्रों हेतु) ने मार्गदर्शन किया। दिनांक 25.02.2025 को आयोजित चतुर्थ हिंदी कार्यशाला में 24 से 25 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। संकाय सदस्यों के रूप में डॉ प्रियंका गोस्वामी, सहायक निदेशक(राजभाषा) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपुर (दो सत्रों हेतु) और श्री विष्णु उ. रामटेके, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने मार्गदर्शन किया।



3) हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पारंगत पाठ्यक्रम का आयोजन:

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना उपसंस्थान, नागपुर द्वारा समय-समय पर जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जाता है।

4) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी संकल्प का अनुपालन

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी संकल्प के सन्दर्भ में मुख्यालय के निर्देशानुसार सभी कार्मिकों को आदेश दिए गए हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश का सत्ती से अनुपालन किया जाए। संकल्प में उल्लिखित सभी मर्दों के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और वर्तमान में निम्न मर्दों पर अनुपालना की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेंगी।

- क) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है।
- ख) राजभाषा नियम, 1978 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।
- ग) वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए और इसे अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

5) वार्षिक कार्यक्रम 2024-2025 की अनुपालना

वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालना हेतु कार्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों में, विस्तृत विचार-विमर्श व आवश्यक निर्णय लिए जाने हेतु कार्यसूची में मुख्य बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया और प्रत्येक बिंदु पर समिति के सदस्यों द्वारा क्रमबद्ध रूप से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के दौरान प्रस्तुत सुझावों पर माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही प्रत्येक अनुभाग में वार्षिक कार्यक्रम का व्यापक परिचालन किया गया। वार्षिक कार्यक्रम 2024-2025 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जाँच बिंदु स्थापित कर अनुदेश दिए गए जिसका पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जा रहा है।

6) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नागपुर (कार्यालय-2)

नराकास द्वारा प्रति छमाही में 2 बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी और राजभाषा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं जिसमें छमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट पर गहन विचार-विमर्श कर हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्धारित मापदंडों/लक्ष्यों को भी प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश दिए जाते हैं। दिनांक 16/01/2025 को आयोजित



छमाही बैठक में कार्यालय के श्री अक्षय मोहन खंडारे, वरिष्ठ उप महालेखाकार एवं राजभाषा अधिकारी, सुश्री सारिका पाटील, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा) एवं श्रीमती नयना वि. पाटील, हिंदी अधिकारी उपस्थित रहे तथा श्री अक्षय मोहन खंडारे, वरिष्ठ उप महालेखाकार एवं राजभाषा अधिकारी को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

9) कार्यालयीन गृह-पत्रिका 'किरण' का प्रकाशन

कार्यालय की राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ अन्य कार्यालयीन, सांस्कृतिक और रोचक प्रकार की विविध गतिविधियों को “किरण” पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पत्रिका के प्रकाशन के लिए सामग्री आमंत्रण, एकत्रीकरण, सामग्री का चयन, सामग्री को जांचना-सुधारना, संयोजन, संपादन, मुद्रण सम्बन्धी अनेक कार्य, मुद्रण की अद्यतन तकनीक को अपनाना, कागज, रंगों का तालमेल एवं चयन-संयोजन इत्यादि के साथ-साथ अधिकारियों सहित राजभाषा विभाग के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सहित अन्य कार्य निष्पादित होते हैं। जिसमें अन्य कई घटक भी महत्वपूर्ण होते हैं अर्थात् पत्रिका का प्रकाशन एक सुनियोजित सृजनात्मक कार्य है जिसे पूर्ण रूप से निष्पादित किए जाने का प्रयास निरंतर किया जाता है।

‘किरण’ पत्रिका के 42 वें अंक का प्रकाशन सितंबर माह में किया गया एवं उसका विमोचन दिनांक 17.10.2024 को प्रधान महालेखाकार महोदया द्वारा किया गया। इस प्रकार कार्यालय की गृह पत्रिका “किरण” विगत चार दशकों से हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।



हिन्दी पखवाड़ा-2024 का सफल आयोजन

हिंदी दिवस-2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान (प्लेनरी हॉल एवं बहुकार्य हॉल), नई दिल्ली में 14-15 सितंबर, 2024 को किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संपूर्ण भारत से लगभग 11 हजार राजभाषा अधिकारी व कर्मचारी एवं संबंधित कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख सम्मिलित हुए। इसमें इस कार्यालय की सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने भाग लिया।

दिनांक 14.09.2024 को हिंदी दिवस-2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री- श्री अमित शाह द्वारा दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गान से शुरू हुआ। “राजभाषा हीरक जयंती” (1949-2024) के उपलक्ष्य में “राजभाषा स्मारिका” का लोकार्पण, स्मारक सिक्का और डाक-टिकट का लोकार्पण माननीय गृह और सहकारिता मंत्री- श्री अमित शाह द्वारा किया गया। तत्पश्चात माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री- श्री अमित शाह के कर कमलों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ‘भारतीय भाषा अनुभाग’ की स्थापना का लोकार्पण किया गया। इस अनुभाग का निर्माण भारत के सभी भाषाओं के संरक्षण व विकास के लिए किया गया है। इसके पश्चात इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रकाशित “प्रथम भाषा संगम”, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा प्रकाशित “इलेक्ट्रॉनिकी और रक्षा व प्रक्षेपण शब्दावली”, डॉ. शरद अग्रवाल (कानपुर से) द्वारा रचित “हिंदी कहावत कोश”, और डीआरडीओ द्वारा प्रकाशित “विज्ञान विहान” पुस्तकों का श्री अमित शाह के कर कमलों से विमोचन किया गया। इन पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी भाषा व हिंदी साहित्य के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा एक छोटा-सा प्रयास है। इसके बाद कंठस्थ 2.0 का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) में इंटीग्रेशन का लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों किया गया। इसी के साथ राजभाषा की सेवा करने वालों को ‘राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार’ भी माननीय श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया।

हिंदी का उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने और इस कार्यक्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीजी की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए यह अनुरोध किया गया था कि सभी विभाग/मंत्रालय/बैंक/उपक्रम आदि हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 14 से 29 सितंबर के दौरान ही मनाना सुनिश्चित करें और विभिन्न कार्यालयीन प्रतियोगिताएं इसी



दौरान ही आयोजित की जाए। अतः उक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में दिनांक 18 सितंबर 204 से 27 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा का सफल आयोजन किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा, 2024 के दौरान विभिन्न लिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदी में मौलिक कार्य जैसे टिप्पणी, मसौदे एवं पत्राचार को बढ़ाना है।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर में दिनांक 18 सितंबर, 2024 से 'हिंदी पखवाड़ा-2024' के उपलक्ष में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आरंभ हुआ। दिनांक 18 सितंबर, 2024 को "निबंध प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी भाषियों और हिंदीतर भाषियों के लिए पृथक विषय रखे गए जिस पर कार्यालय के अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लेकर तल्लीनता से निबंध लिखा।

दिनांक 19 सितंबर, 2024 को "टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता" का आयोजन हिंदी भाषियों और हिंदीतर भाषियों के लिए पृथक रूप से किया गया जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालयीन टिप्पणी, परिपत्र और सामान्य आदेशों के प्रारूप को तैयार कर लेखन-कौशल को प्रस्तुत किया।

दिनांक 23 सितंबर, 2024 को "सरल अनुवाद प्रतियोगिता" का आयोजन हिंदी भाषियों और हिंदीतर भाषियों के लिए पृथक रूप से किया गया जिसमें अंक, प्रशासनिक शब्द, लघु-अनुवाद और दैनिक कामकाज में प्रयोग किए जानेवाले वाक्यांश पर आधारित प्रश्नपत्र दिया गया।

दिनांक 24 सितंबर, 2024 को "राजभाषा प्रश्नोत्तरी" प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी संबंधी नियमों, अधिनियमों, धाराओं और मुख्य तिथियों, 1963 की धारा 3(3) के द्विभाषी कागजातों संबंधी जानकारी से प्रश्न-पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया।



अंत में, दिनांक 25 सितंबर, 2025 को सभी के लिए समान रूप से "एक मिनट प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी के वर्णाक्षरों की पर्चिया बनायी गई थी एवं प्रतिभागी को एक पर्ची उठानी थी। पर्ची में लिखित वर्णाक्षर से शुरू होनवाले अधिक से अधिक शब्द एक मिनट में बताने थे। जिस प्रतिभागी ने एक मिनट में सर्वाधिक शब्द बताए, वह विजेता।

सभी प्रतियोगिताओं में कार्यालय के प्रतिभाशाली अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर हिंदी पखवाड़ा-2024 के समारोह को सफल, रोचक व सार्थक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

27 सितंबर 2024 को हिंदी पखवाड़े का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधान महालेखाकार सुश्री जया भगत सहित वरिष्ठ उप महालेखाकार डॉ. भुषण भिरुड मंचासीन थे एवं इनके करकमलों ले प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप-प्रज्वलन और सजावटी-पौधों के साथ हुआ। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन सहायक लेखा अधिकारी श्रीमती सुमन मिश्रा



दीप प्रज्वलीत करते हुए मा. प्रधान महालेखाकार महोदया



मा. प्रधान महालेखाकार महोदया का स्वागत करते हुए, वरिष्ठ उपमहालेखाकार डॉ. भुषण भिरुड

ने तथा आभार प्रदर्शन हिंदी अधिकारी डॉ. नयना पाटील द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभिन्न समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित राजभाषा अनुभाग के कर्मियों ने अथक प्रयास किया। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्ष माननीय प्रधान महालेखाकार महोदया ने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि “हिंदी की समावेशी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया।” सभी पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई दी और उनका अभिनन्दन करते हुए आगे यह भी कहा कि जिनको पुरस्कार नहीं मिला वे बिलकुल निराश न हो क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेना अधिक जरूरी है। हार व जीत तो जीवन में लगी ही रहती हैं। सभी पुरस्कार के पात्र है। सभी प्रतिभागीयों को आगामी वर्ष के आयोजनों के लिए शुभकामनाएँ दी।



मा. गृहमंत्री जी का संदेश पठन करते हुए वरिष्ठ उपमहालेखाकार डॉ. भुषण भिरुड



संबोधित करते हुए मा. प्रधान महालेखाकार महोदया

इस अवसर पर सभी से अनुरोध किया कि “दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी की सरलता और आभा से अपने जीवन को सुशोभित करें।”



राजभाषा चलित शील्ड पुरस्कार योजना

इस कार्यक्रम का आकर्षक पक्ष यह भी था कि कार्यालय में प्रतिवर्ष हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने वाले अनुभागों के मध्य राजभाषा चलित शील्ड योजना चलाई जाती है। जिसका एकमात्र उद्देश्य कार्मिकों में हिंदी के प्रति अधिकाधिक कार्य करने की भावना का निर्माण करना है ताकि वे अपना दैनंदिन कार्य निरंतर हिंदी में ही करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राजभाषा चलित शील्ड योजना चलाई जाती है।



हिंदी में सर्वाधिक कार्य करनेवाले अनुभागों को हिन्दी पखवाड़ा के दौरान शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। अतः इस वर्ष अनुभागीय शील्ड वेतन पंजी (पे रोल) अनुभाग को एवं प्रोत्साहन शील्ड निधि-4 एवं निधि-8 अनुभागों को प्रदान की गई।

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

हिंदी पखवाड़ा के दौरान ही कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालय द्वारा, नकद पुरस्कार योजना को कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यालय के कर्मियों द्वारा अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है जिसका गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। समिति द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अतः इस वर्ष 2023-2024 के लिए नकद पुरस्कार योजना के तहत निम्न कर्मियों को पुरस्कृत किया गया।

पुरस्कार नाम एवं पदनाम

प्रथम पुरस्कार	श्रीमती मीना बोदेले	वरिष्ठ लेखापाल
तृतीय पुरस्कार	श्री धनंजय अर्जुन वराडे	वरिष्ठ लेखापाल
	श्री सलीम शेख	वरिष्ठ लेखापाल
	श्री फैय्याज अंसारी	वरिष्ठ लेखापाल
	श्री आशिष कुमार पटेल	वरिष्ठ लेखापाल
	श्रीमती वंदना इरपाते	लिपिक

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परोक्ष-अपरोक्ष रूप से समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का सक्रीय सहयोग रहा है। इसके साथ ही एल एंड एस अनुभाग, कल्याण अनुभाग व कैटीन में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भरपूर सहयोग दिया जिससे संपूर्ण हिन्दी पखवाड़ा उत्साहवर्धक और रोचक रहा।



ऑडिट दिवस के अंतर्गत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा बनाए गए चित्र।



ऑडिट दिवस के अंतर्गत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा बनाए गए चित्र।

